रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092020-221477
CG-DL-E-01092020-221477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2020/भाद्र 9, 1942
No. 217] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2020/BHADRA 9, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 31अगस्त, 2020

मामला सं. (एसएसआर) 08/2019

विषय : थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रेलिक फाइबर के आयातों के खिलाफ पाटन रोधी जांच की निर्णायक समीक्षा

फा. सं. 7/18/2019 - डीजीटीआर.— क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. समय-समय पर यथासंधोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में कहा गया है) तथा तत्संबंधी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली (इसके बाद इसे नियमावली के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे प्राधिकारी के रूप में कहा गया है) ने यूएसए, थाईलैंड और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रेलिक फाइबर (इसके बाद इसे संबद्ध वस्तुएं अथवा पी यू सी अथवा विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयतों के संबंध में दिनांक

13.09.1996 को मूल पाटनरोधी शुरू की गई थी और दिनांक 14 अगस्त 1997 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 47/एडीडी/1 डब्ल्यू के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय सरकार ने दिनांक 24.10.1997 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 81/97 के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

2. इस प्रकार से प्राधिकारी द्वारा दिनांक 07.08.2001 की अधिसूचना संख्या 26/1/2001- डीजीएडी के तहत यूएसए, थाईलैंड और कोरिया गणराज्य पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की गई थी और दिनांक 06.08.2002 की अधिसूचना संख्या 26/1/2001- डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे। केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 09.10.2002 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 106/2002- सीमा शुल्क के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

3. प्राधिकारी द्वारा थाईलैंड और कोरिया गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की दूसरी निर्णायक समीक्षा दिनांक 08.10.2007 की अधिसूचना संख्या 10/07/2006 -डीजीएडी के तहत की गई थी और दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना संख्या 10/07/2006 -डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे, जिसमें संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी। केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 20.11.2008 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 123/2008- सीमाशुल्क के तहत थाईलैंड और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

4. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24.09.2013 की अधिसूचना संख्या 15/10/2013 - डीजीएडी के तहत कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयतों पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की तीसरी निर्णायक समीक्षा शुरू की गई थी और दिनांक 23.03.2015 की अधिसूचना संख्या 15/16/2013- डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे, जिसमें लागू शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 1 जून, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 27/2015 – सीमा शुल्क के तहत थाईलैंड और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क लगाया गया।

5. जबकि, अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के तहत, लगाया गया पाटन रोधी शुल्क, जब तक कि पहले से हटा न लिया जाए, लगाए जाने की तारीख से 5 वर्षों की समाप्ति के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा।

6. और, उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी को ऐसे उपायों की समाप्ति की तारीख से पूर्व पर्याप्त समय के भीतर घरेलू उद्योग की ओर से अथवा एक विधिवत किए गए पर्याप्त अनुरोध के आधार पर, समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति पर पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

7. और, जबकि, उपरोक्त प्रावधानों के तहत मैसर्स इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड, मैसर्स पशुपति एक्रिलोन लिमिटेड और मैसर्स वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड (इसके बाद इन्हें "आवेदकों" अथवा "घरेलू उद्योग" के रूप में भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार, थाईलैंड (इसके बाद इसे संबद्ध देश के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर (इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "पी यू सी" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में कहा गया है) के आयातों के खिलाफ निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है और शुल्क का विस्तार करने के लिए अनुरोध किया है। यह अनुरोध इस आधार पर है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद पाटन जारी रहा है और घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटन के संबंध में क्षति होना जारी रहा है। इसके अलावा, आवेदकों ने यह भी तर्क दिया है कि संबद्ध देश के खिलाफ उपाय समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

8. जबकि, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 07/18/2019 - डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके तहत नियमावली के नियम 6 (1) के अनुसार यह जांच करने के लिए संबद्ध जांच शुरू की गई कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

9. संबद्ध जांच शुरू करने के बाद, केंद्रीय सरकार ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लागू शुल्क को दिनांक 30.11.2020 तक बढ़ाने के लिए दिनांक 29.05.2020 की अधिसूचना संख्या 10/2020- सीमा शुल्क जारी की।

10. वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंधित आयातों की विगत जांचों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

11. इस संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है:-

i. प्राधिकारी ने पाटन रोधी नियमावली के उप नियम 5 (5) के अनुसार जांच शुरू करने से पूर्व वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया है।

ii. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2019 की एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के संबंधित आयातों की जांच शुरू की गई है।

iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावासों, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ उपयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति भेजी तथा उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार जांच शुरू किए जाने की अधिसूचना जारी होने के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध किया।

iv. प्राधिकारी ने पाटन रोधी नियमावली के नियम से 6 (3) के अनुसार ज्ञात आयातकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को भी आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की।

v. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के निर्यातक प्रश्नावली भेजी, जिनके ब्योरे नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संगत सूचना प्रकट करने के लिए आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे :-

क. थाई एक्रेलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

vi. भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को परामर्श देने का अनुरोध किया गया। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजी गई प्रश्नावली और पत्र की एक प्रति भी संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम व पतों के साथ उन्हें भेजी गई थी।

vii. संबंध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्धारित फॉर्मेट में निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए :-

क. थाई एक्रेलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं/ प्रयोक्ता संघों को जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति भेजी, जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे और उन्हें यह परामर्श दिया गया कि वे नियम 6 (4) के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचार भेजे :-

क. राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, नई दिल्ली

ख. वर्धमान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स, लुधियाना

ग. दीपक स्पिनर्स लिमिटेड, चंडीगढ़

घ. मालवा कॉटन स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, लुधियाना

ड.. शिवलिया स्पग और डब्ल्यू वी जी मिल्स (प्रा.) लिमिटेड, लुधियाना

च. दीपक स्पिनर्स लिमिटेड सोलन बद्दी

छ. शिवा फैब्रिकेटर (प्रा.) लिमिटेड, लुधियाना

ज. सुप्रीम टेक्स मार्ट लिमिटेड, लुधियाना

झ. योगेंद्र वर्स्टेड लिमिटेड, लुधियाना

ञ. श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड, डूंगरपुर

ट. बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड, बांसवाड़ा

ठ. गंगा एक्रोउल्स लिमिटेड, लुधियाना

ड. शीतल फाइबर लिमिटेड, जालंधर

ढ. अरिसूदाना इंडस्ट्रीज लि., लुधियाना

ण. स्पोर्टकिंग इंडिया लिमिटेड, लुधियाना

त. टेक्सास वूलन मिल्स (प्रा.) लिमिटेड, लुधियाना

थ. जिंदल कोटेक्स लि., लुधियाना

द. गर्ग एक्रिलिक्स लिमिटेड, लुधियाना

ध. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन, मुंबई

न. लुधियाना स्पिनर्स एसोसिएशन, लुधियाना

ix. उत्पाद के निम्नलिखित आयातकों अथवा उपयोक्ताओं ने निर्धारित फॉर्मेट में आयातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है :-

क. गंगा एक्रोवूल्सव लि.

ख. गंगा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.

ग. गर्ग एक्रिलिक लिमिटेड

घ. लक्ष्मी स्पिनर

ड. लॉन्गोवालिया यार्न लि.

च. लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.

छ. ओसवाल वूलेन मिल्स लि

ज. पैरामाउंट सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड

झ. रामजी एकरो लिमिटेड

ञ. शरमन वूलन मिल्स लि.

ट. शिव वूलेन मिल्स

ठ. शिवाल्या स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स (प्रा.) लि.

ड. श्री गणेश एकरो यार्न प्राइवेट लिमिटेड

ड. स्पोर्टकिंग इंडिया लिमिटेड

ढ. उदय उद्योग

ण. वीनस टेक्सस्पिन लि.

x. इसके अतिरिक्त जांच के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा अनुरोध/ टिप्पणियां दाखिल की गई हैं '-

क. रॉयल थाई गवर्नमैंट

ख. लुधियाना स्पिनर्स एसोसिएशन और उसके सदस्य

ग. नार्दन इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन और उसके सदस्य

xi. प्राधिकारी ने नियम 6 (7) के तहत हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए रखी गई एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया गया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में शामिल किया गया है।

xii. वर्तमान जांच के प्रयोजन से जांच की अवधि अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 (12 माह) मानी गई है। क्षति जांच की अवधि वर्ष 2015 – 16, 2016 – 17, 2017 - 18 और जांच की अवधि (पी ओ आई) मानी गई है। प्राधिकारी ने पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का विश्लेषण करने के प्रयोजन से जांच की अवधि के पश्चात की अवधि (पोस्ट- पी ओ आई) के रूप में अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 तक की अवधि पर विचार किया गया है।

xiii. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त/ अनुपूरक सूचना की मांग की गई थी। घरेलू उद्योग और निर्यातकों/ उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार सत्यापन किया गया था।

xiv. गैर- क्षतिकारी कीमत (एन आई पी) सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) और पाटन रोधी नियमावली के अनुलग्नक – III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर उत्पादन की लागत और भारत संबद्ध वस्तुओं के निर्माण व बिक्री की लागत के आधार पर इसकी गणना की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xv. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एण्ड एस) द्वारा विगत तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए सौदा-वार आधार पर प्रदान की गई सूचना को भारत में संबद्ध उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनाया गया है।

xvi. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 13 मई, 2020 को हुई एक सुनवाई में अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को भी अवसर प्रदान किया गया था। तदोपरांत दिनांक 16 जुलाई, 2020 को निर्दिष्ट प्राधिकारी बदले जाने पर एक अन्य मौखिक सुनवाई की गई थी। ऐसे सभी पक्षकारों को, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, अपने लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रति अनुरोध (रिज्वाइंडर), यदि कोई हो दाखिल करने का अवसर प्रदान किया गया था।

xvii. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जहां कहीं भी संगत पाए गए, इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा शामिल कर लिए गए हैं।

xviii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया गया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

xix. जहां कहीं भी हितबद्ध पक्षकार ने उसे उपलब्ध कराने से इंकार किया है अथवा अन्यथा वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना नहीं की गई है अथवा इस जांच में काफी बाधा डाली गई है तो प्राधिकारी द्वारा ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस प्रकटीकरण विवरण में आपत्तियों को दर्ज किया गया है।

xx. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच में आवश्यक तथ्या दिनांक 19 अगस्त, 2020 के प्रकटीकरण विवरण के तहत ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट कर दिए गए थे और उन पर प्राप्त टिप्पणियां, जो प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई, इन अंतिम जांच परिणामों में शामिल की गई हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश प्रकटीकरण उपरांत के अनुरोध उनके पूर्व अनुरोधों की मात्र पुनरावृत्ति है। तथापि, प्रकटीकरण के उपरांत के जो अनुरोध संगत पाए गए उनकी इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।

xxi इस अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना में *** चिह्न हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत उस पर विचार किया गया है।

xxii. प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के दौरान संबद्ध जांचों के लिए अपनाई गई विनिमेय दर 1 यूएस डॉलर = 70.82 रु. है।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद और समकक्ष वस्तु</u>

12. वर्तमान जांच के प्रयोजन से विचाराधीन उत्पाद "एक्रिलिक फाइबर" है।

13. एक्रिलिक फाइबर सिन्थेटिक पॉलिमर की एक लंबी चेन है, जो ऐसे एक्रिलोनिट्रायल के कम से कम 90% भार से बना है, जो एक्रिलिक फाइबर के उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्चा माल होता है। इसे मोटे तौर पर फाइबर के रंग, लंबाई और डेनियर के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। इसका प्रयोग परिधानों, घरेलू सामग्रियों के लिए और इसका बड़ा औद्योगिक उपयोग किया जाता है।

14. इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के तहत वर्गीकृत किया गया है। एक्रिलिक फाइबर का सीमा शुल्क वर्गीकरण 5501.3000, 5503.3000 और 5506.3000 है। तथापि, वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इसकी वर्तमान जांच के दायरे पर कोई बाध्यता नहीं है।

ख. 1. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

15. घरेलू उपयोग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए है :-

क. वर्तमान जांच चूंकि एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहा, जो मूल जांच में तथा विगत में की गई जांच में वर्णित किया गया था। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं किया गया है। अतः घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में पूर्व जांच का उल्लेख करता अै और उस पर भरोसा करता है।

ख. 2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

16. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ख. 3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

17. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद को अंतिम जांच परिणामों में इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

मूल जांच में और उसके बाद की समीक्षा जांचों में शामिल उत्पाद एक्रिलिक फाइबर है। एक्रिलिक फाइबर सिंथेटिक पॉलीमर की एक लंबी चेन है, जो ऐसे एक्रिलोनिट्राइल के कम से कम 90% भार से बना है, जो एक्रिलिक फाइबर के उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्चा माल होता है। इसे मोटे तौर पर फाइबर के रंग, लंबाई और डेनियर के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। इसका प्रयोग परिधानों, घरेलू सामग्रियों के लिए और इसका बड़ा औद्योगिक उपयोग किया जाता है। इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के तहत वर्गीकृत किया गया है। एक्रिलिक फाइबर का सीमा शुल्क वर्गीकरण 5501.3000, 5503.3000 और 5506.3000 है। तथापि, वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इसकी वर्तमान जांच के दायरे पर कोई बाध्यता नहीं है।

18. यह नोट किया गया है कि चीन जन. गण., बेलारुस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरु के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पादन के दायरे से 100 % एक्रिलोनिट्राइल वाले होमोपॉलीमर एक्रिलिक फाइबर को निकाल दिया था, क्योंकि घरेलू उद्योग ने इसका निर्माण नहीं किया था। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने 100% एक्रिलोनिट्राइल वाले होमोपॉलीमर एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन न करना जारी रखा, और इस प्रकार इसे वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के दायरे से भी बाहर रखा जाए।

19. अतः प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे से 100% एक्रिलोनिट्राइल वाले होमोपॉलीमर एक्रिलिक फाइबर को बाहर करके विचाराधीन उत्पाद के संकीर्ण दायरे को अपनाया है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में यह नोट किया गया है :-

मूल जांच में शामिल उत्पाद एक्रिलिक फाइबर है। एक्रिलिक फाइबर जिसमें 100% एक्रिलोनिट्राइल वाले होमोपॉलीमर एक्रिलिक फाइबर शामिल नहीं है, सिंथेटिक पॉलीमर की एक लंबी चेन है, जो ऐसे एक्रिलोनिट्राइल के कम से कम 90% भार से बना है, जो एक्रिलिक फाइबर के उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्चा माल होता है। इसे मोटे तौर पर फाइबर के रंग, लंबाई और डेनियर के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। इसका प्रयोग परिधानों, घरेलू सामग्रियों के लिए और इसका बड़ा औद्योगिक उपयोग किया जाता है। इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के तहत वर्गीकृत किया गया है। एक्रिलिक फाइबर का

सीमा शुल्क वर्गीकरण 5501.3000, 5503.3000 और 5506.3000 है। तथापि, वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इसको वर्तमान जांच के दायरे पर कोई बाध्यता नहीं है।

ग. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और आधार</u>

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग की परिभाषा इस प्रकार है:

(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

ग. 1. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

21. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए है :-

क. निर्णायक समीक्षा शुरू करने के लिए आवेदन मैसर्स इंडिया एक्रिलिक लि., मैसर्स वर्धमान एक्रिलिक लि. और मैसर्स पशुपति एक्रिलोन लि. द्वारा दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ता कंपनियों के उत्पादन में संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन का 100% शामिल है और भारत में संबद्ध वस्तुओं का अन्य कोई उत्पादक नहीं है।

ख. आवेदक नियम 2 (ख) के तात्पर्य से संबद्ध देश में किसी निर्यातक अथवा पाटित वस्तुओं के किसी आयातक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कोई संबंध नहीं है।

ग. एक आवेदक, इंडियन एक्रिलिक्स लि. ने जांच की अवधि के दौरान निर्यातों के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत थाइलैंड से छोटी मात्रा में संबद्ध वस्तुओं (206 मी. टन) का आयात किया है।

घ. जांच की अवधि (पी ओ आई) में आयात केवल अग्रिम लाइसेंस के तहत ही किए गए हैं।

ड. इंडियन एक्रिलिक्स लि. द्वारा किए गए आयातों की मात्रा इतनी पर्याप्त नहीं है कि इसे पात्र घरेलू उद्योग के रुप में मानने से अपात्र किया जाए।

च. एक्रिलिक फाइबर (मार्च, 2015) की विगत निर्णायक समीक्षा में यह नोट किया गया था कि प्राधिकारी इस विचार को लगातार रखे हुए है कि यदि वस्तुएं शुल्क छूट योजनाओं के तहत खरीदी गई है तो इससे कंपनी घरेलू उद्योग का भाग माने जाने से अपात्र नहीं हो जाती।

छ. एसिटोन और फिनोल के मामले में प्राधिकारी की विगत 22 अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी ने एस आई ग्रुप को पात्र घरेलू उद्योग के रुप में माना है, जब उन्होंने विचाराधीन उत्पाद अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात किया है।

ज. प्राधिकारी का निम्नलिखित जांचों में यही दृष्टिकोण रहा है :

i. विस्कोस स्टेपल फाइबर, चीन और इंडोनेशिया से (मई, 2010)

ii. कार्बन ब्लैक (एसएसआर), चीन, रुस और थाईलैंड (अक्तूबर, 2015)

iii. 2 मिथाइल (5) नाइट्रो इमिडेजोल में, चीन जन. गण. से (जून, 2007)

iv. फ्लैक्स यार्न, चीन जन. गण. से (सितंबर, 2018)

झ. प्राधिकारी ने विस्तृत तर्क दिए हैं कि किस प्रकार से अग्रिम लाइसेंस के तहत आयातों को ताइवान और यू एस ए (अगस्त, 2014) मामले में एक पात्र घरेलू उद्योग के रुप में माने जाने से एक घरेलू उत्पादक को अपात्र नहीं किया जा सकता।

ञ. विस्कोस स्टेपल फाइबर (मई, 2010) के अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने यह कहा है कि अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात करने वाले ऐसे घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर करना अनुचित होगा।

ग. 2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

22. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए है :-

क. एक्रिलिक फाइबर के भारतीय उत्पादक और उनकी सहायक कंपनियां थाईलैंड और अन्य देशों से एक्रिलिक फाइबर का आयात करती रही हैं।

ख. इंडियन एक्रिलिक्स लि. द्वारा थाईलैंड से अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत करीब 206 मी. टन का आयात किया गया है। ऐसे आयात में वर्ष 2018-19 में थाईलैंड से भारत में किए गए कुल आयातों का करीब 2.34 % शामिल है।

ग. वर्धमान एक्रिलिक्स लि. के एक संगत पक्षकार ने जांच की अवधि के दौरान यूरोपीय संघ से पर्याप्त मात्रा में संबद्ध वस्तुओं (करीब *** मी. टन) का आयात किया है। यूरोपीय संघ, पेरु, बेलारुस, चीन और यूक्रेन से एक्रिलिक फाइबर के आयातों के संबंध में एक जांच में वर्धमान एक्रिलिक्स लि. को इसी कारण से घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना गया था।

घ. भारतीय उत्पादक स्वयं आयातों से लाभ प्राप्त करके असामान्य लाभ अर्जित करने के लिए शुल्कों को एक साधन के रुप में इस्तेमाल में ला रहे हैं।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

23. वर्तमान में याचिका तीन घरेलू उत्पादकों, अर्थात मैसर्स इंडियन एक्रिलिक्स लि., मैसर्स वर्धमान एक्रिलिक्स लि. और मैसर्स पशुपति एक्रिलोन लि. द्वारा दाखिल की गई है। जांच की अवधि में याचिकाकर्ताओं का भारतीय उत्पादन में 100% हिस्सा है। इसके अलावा, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है।

24. प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह पाया है कि इंडियन एक्रिलिक्स ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और ये शुल्क छूट योजना के तहत किए गए हैं तथा इन आयातों की मात्रा में उनके अपने उत्पादन अथवा भारतीय उत्पादन अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों अथवा देश में मांग की तुलना में एक बहुत ही अपर्याप्त हिस्सा शामिल है। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी लगातार यह मान रहे हैं कि यदि वस्तुएं शुल्क छूट योजना के तहत आयात की जाती हैं तो इसे घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने से अपात्र नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में, कंपनी द्वारा किए गए आयातों की मात्रा भारत में आ रहे आयातों की मात्रा और भारतीय मांग को देखते हुए काफी अपर्याप्त है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि इंडियन एक्रिलिक्स को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तात्पर्य से एक पात्र घरेलू उद्योग है।

25. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना को देखते हुए, प्राधिकारी ने यह पाया है कि याचिकाकर्ता कंपनियों अर्थात अर्थात मैसर्स इंडियन एक्रिलिक्स लि., मैसर्स वर्धमान एक्रिलिक्स लि. और मैसर्स पशुपति एक्रिलोन लि. के उत्पादन में भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा शामिल है और इस प्रकार से यह पाटनरोधी नियमावली के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है।

घ. <u>गोपनीयता</u>

घ. 1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

26. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए है :

क. उत्तर देने वाले आयातकों/ प्रयोक्ताओं अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। ये उत्तर गोपनीयता का दावा की गई सूचना की एक सार्थक जानकारी नहीं देते।

ख. उत्तर देने वाले आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 के तहत प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सम्मान नहीं किया है।

ग. सूचना की गोपनीयता का दावा करने वाले किसी हितबद्ध पक्षकार को अगोपनीय सारांश प्रदान करना अपेक्षित है। तथापि, अधिकांश उत्तरदाता आयातक/ प्रयोक्ता इसे उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।

घ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रखी गई सूचना प्रश्नावली उत्तर का एक अनिवार्य भाग होता है। ऐसी महत्वपूर्ण सूचना न होने के कारण, घरेलू उद्योग अपने हितों का संरक्षण करने के लिए कोई टिप्पण् देने में असमर्थ है।

ड.. इसमें किसी हितबद्ध पक्षकार के अपने हितों की रक्षा के लिए अवसर की कमी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन और जांच प्रक्रिया में बाधा डालना भी शामिल है।

च. एक प्रश्नावली उत्तर को निम्नलिखित स्थितियों में अस्वीकार करने की आवश्यकता होती है :-

i. जब आयातक ने अनावश्यक/ अनुचित गोपनीयता का सहारा लिया है।

ii. जब आयातक ने ऐसी सूचना पर गोपनीयता का दावा किया है, जो आयातक को सार्वजनिक रुप से प्रकट करना अनिवार्य है।

iii. जब आयातक ने ऐसी सूचना पर गोपनीयता का दावा किया है, जो आयातक/ प्रयोक्ता ने निर्यातक देश में सार्वजनिक रुप से अन्यथा प्रकट की है।

iv. जब यह प्रमाणित हो गया है कि आयातक ने, यहां तक कि यह इंगित कर दिए जाने के बावजूद कि आयातक ने अनावश्यक गोपनीयता का सहारा लिया है, फिर भी सूचना को सार्वजनिक रुप से प्रकट करने के लिए इच्छुक नहीं है।

v. दाखिल किए गए उत्तरों में कमियां होना घरेलू उद्योग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

छ. प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि इन उत्तरों को अस्वीकार करें और उन्हें असहयोगी घोषित करें।

ज. यहां तक कि सूचीबद्ध सूचना न होने पर घरेलू उद्योग अपने हितों की रक्षा करने में अक्षम है।

झ. माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में यह पाया था कि नियम 7 के तहत प्राधिकारी को उस सामग्री की गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए। यहां तक कि यदि सामग्री गोपनीय भी है तो एक अगोपनीय सारांश प्रदान किया जाना चाहिए। नियम 7 के तहत गोपनीयता ऐसी नहीं है, जिसे स्वतः मान लिया जा सके।

घ. 2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

27. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए है :-

क. आवेदकों ने निर्यातों, कैप्टिव खपत और इन्वेंट्री से संबंधित मात्रात्मक सूचना प्रदान नहीं की है, यद्यपि उत्पादन और बिक्री की मात्रा प्रदान की है। ऐसा कैप्टिव खपत को छिपाने के लिए किया गया है।

ख. आरओसीई की रेंज प्रदान नहीं की गई है और सूचीकरण (इंडेक्सेसन) एक तर्कसंगत सारांश नहीं है जिससे कि प्रतिवादी पक्ष अपनी टिप्पणियां कर सके।

ग. निर्यात कीमत पर समायोजनों का दावा किया गया है, जिससे कच्चे माल/यूटिलिटी आदि के उचित उपयोग की जानकारी नहीं मिलती।

घ. लागत प्रारूप को गोपनीय बनाया जाता है, जो कच्चे माल/उपयोगिता / आदि के कुशल उपयोग की किसी भी समझ को अनुमति नहीं देता है।

घ. 3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

28. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में सूचना की गोपनीयता के संबंध में यह प्रावधान है कि :-

"गोपनीय सूचना" (1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) एवं (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) तथा नियम 17 के उप नियम (4) में किसी भी बात के होते हुए भी नियम 5 के उप नियम (1) के प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदत्त कोई अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर ऐसी सूचना को गोपनीय मना जाएगा और ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना ऐसी सूचना किसी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रुप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

29. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय पाठ सभी हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराया, जिसमें विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ शामिल है।

30. घरेलू उद्योग और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की, जहां तक वे संगत पाए गए, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और तदनुसार उन्हें शामिल किया गया। प्राधिकारी ने स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को भी नोट किया है और उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि नियमों के तहत गोपनीयता स्वतः मानी नहीं जा सकती, इसे भी नोट किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों को आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर

दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने कारोबार संबंधी संवेदनशील सूचना गोपनीय होने का दावा किया है।

ङ विधिवत मामले

ङ 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

31. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए है :

क. मूल जांच के लिए और निर्णायक समीक्षा जांच के लिए कानूनी अपेक्षाएं अलग – अलग होती हैं।

ख. शुल्क लगाते समय, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या विचाराधीन उत्पाद सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है और क्या पाटन के कारण पर्याप्त क्षति हुई है।

ग. समीक्षा जांच की अवस्था में, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

घ. घरेलू उद्योग को कोई अधिक संरक्षण नहीं है। वास्तव में शुल्क कोई संरक्षण नहीं होता, बल्कि यह एक व्यापार उपाय होता है जिसके अनुचित कीमतों को देखा जाता है।

च. शुल्क की मात्रा अधिक नहीं है, यह कानून के अनुसार है। जब अपेक्षाएं पूरी होती हैं तो शुल्क केवल लगाया/ बढ़ाया जाता है।

छ. निर्यातक पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का जानबूझकर निर्यात कर रहा है। घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं को रोकने के लिए प्राधिकारी को अनुरोध करने से रोका नहीं जा सकता।

ज. निचले उद्योग को निष्पादन में क्षति अवधि के दौरान सुधार आया है।

ङ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए है :-

क. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच थाईलैंड से एक्रिलिक फाइबर के आयातों पर शुल्क लगाने के संबंध में है, जो प्रारंभ में 1997 में लगाए गए थे और उसके बाद निर्णायक समीक्षा जांचों के तहत उनमें विस्तार किया गया था। यह शुल्क दो दशकों से अधिक समय से लागू रहे हैं।

ख. मूल शुल्क यू एस ए और दक्षिणी कोरिया पर लगाए गए थे लेकिन इन देशों से आयातों पर शुल्क समाप्त कर दिए गए हैं।

ग. यदि थाईलैंड से पाटन के कारण हुई क्षति को दूर करने के लिए शुल्क लगाए गए थे तो क्षति संबंधी डाटा यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा विचार की गई क्षति अवधि/ जांच की अवधि में थाईलैंड से हुए आयातों के संबंध में क्षति का कोई संकेत नहीं दिखाया गया है।

घ. भारत ने विभिन्न स्रोतों से एक्रिलिक फाइबर के आयातों के संबंध में करीब 21 पाटनरोधी जांच (नई और समीक्षा दोनों) की हैं। विगत दो दशकों से शुल्क लागू रहे हैं और ऐसे शुल्कों से घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण प्राप्त हुआ है।

ड.. पाटनरोधी नियमावली में समीक्षा अथवा विस्तार की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, मूल शुल्क लगाए जाने से लेकर अब तक परिस्थितियों में काफी बदलाव हो चुके हैं। घरेलू उद्योग लाभप्रदता और निष्पादन के उच्च स्तरों तक पहुंच गया है।

च. थाईलैंड से आ रहे आयात आवश्यक आयात हैं, जिनसे भारतीय मांग पूरी हो रही है और ये निर्यातक के किसी कीमत संबंधी व्यवहार से संचालित नहीं हैं।

छ. एक्रिलिक फाइबर के लगभग सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपयोक्ता उद्योग में ठहराव आ गया है और इससे उपयोक्ता निर्यात करने में सक्षम नहीं है। भारत महत्वपूर्ण वैश्विक बाजार और रोजगार के अवसरों को पाटनरोधी शुल्क के कारण खो रहा है क्योंकि दूसरे देश भारत में यार्न की ऊंची कीमतों का फायदा उठा रहे हैं।

ङ. 3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा, शुल्क जारी रखने संबंधी मामले के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोई निर्णायक समीक्षा करने और पाटनरोधी का विस्तार करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि पाटनरोधी शुल्क लगाने की कानूनी अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए शुल्क बढ़ाया जा सकता है। यू एस ए और कोरिया गणराज्य से आयातों पर शुल्क समाप्त हो गए हैं और उन्हें बढ़ाया नहीं गया था क्योंकि आयाताकं से घरेलू उद्योग को क्षति होनी बंद हो गई थी।

34. आयातों के आवश्यक होने के संबंध में, चूंकि देश में मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल है, इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों से भारत में आ रहे आयातें नहीं रुकतीं। इससे केवल यह सुनिश्चित होता है कि भारत में आ रहे आयात उचित कीमत पर हैं। यह कहते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए जांच अविध में अपनी क्षमता बढ़ाई है।

35. अंत में, निचले उपयोक्ता उद्योग को शुल्क लगाने के कारण हुई क्षति के मामले के संबंध में, प्राधिकारी पुनः यह दोहराते हैं कि पाटनोधी शुल्क से केवल यह सुनिश्चित होता है कि आयात एक उचित कीमत पर आ रहे हैं।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन</u>

च. 1. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

36. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए है :-

क. थाई एक्रिलिक फाइबर कं. लि. (टी ए एफ) ने यह दावा किया है कि वह यूटिलिटी का कैप्टिव उत्पादन करता है। यदि किसी उत्पादक ने कच्ची सामग्री अथवा यूटिलिटी का कैप्टिव उत्पादन किया है तो अंतरण कीमत बाजार की कीमत के अनुसार होनी चाहिए।

ख. विदेशी उत्पादक को यूटिलिटी का कैप्टिव उत्पादन करने के मामले में निम्नलिखित सूचना प्रदान करनी अपेक्षित है :

i. कीमत का आधार

ii. निर्यातक किस प्रकार से यह विचार करता है कि वह कीमत को उचित बाजार कीमत को दर्शाती है या उसका प्रतिनिधित्व करती है।

iii. स्वतंत्र पक्षकारों से समान अथवा तुलनीय इनपुट उत्पाद के लिए खरीद कीमतें प्रदान करना।

ग. थाई एक्रिलिक फाइबर कं. लि. (टी ए एफ) ने जान बूझकर प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना छिपाई है और यूटिलिटी के मूल्य के संबंध में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

घ. थाईलैंड से *** मी. टन 'एक्रिलिक फाइबर वेस्ट' का आयात बताया गया है। यहां तक कि यदि यह विचार किया जाता है कि थाई एक्रिलिक फाइबर क उत्पादन 1 लाख मी. टन है तो इसमें केवल 1% अपशिष्ट का उत्पादन शामिल है।

ङ. थाई एक्रिलिक फाइबर द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी वही जो वर्धमान एक्रिलिक्स लि. द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी है। वर्धमान एक्रिलिक्स लि. (वी ए एल) में अपशिष्ट का उत्पादन 0 % है। सह अन्य आवेदकों के मुकाबले भी सही है।

च. जिस कीमत पर एक्रिलिक अपशिष्ट भारत में अयात किए जाने का दावा किया गया है वह उस कीमत का 2-3 गुणा है, जिस कीमत पर एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट भारतीय उत्पादकों को बेचा गया है।

छ. टीएएफ ने 'अच्छे फाइबर' की कीमत की 80% दर पर अपशिष्ट फाइबर के लिए कीमत लेने का दावा किया है।

ज. अच्छा फाइबर एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट के नाम से बताया गया है तथा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। डी आर आई द्वारा आयातकों से की गई 25 करोड़ रु. की वसूलियों को देखते हुए यह संयोग नहीं है।

झ. यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी एक्रिलिक अपशिष्ट के रुप में घोषित एक्रिलिक फाइबर के इन आयातों के जोड़कर टीएएफ के लिए सी आई एफ आयात कीमत निर्धारित करते हैं।

ञ. निर्यातक ने इस आधार पर तिमाही आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करने की मांग की है कि तिमाही आधार पर उत्पाद की कीमत में महत्वपूर्ण अंतर होता है। आयात संबंधी डाटा देखने से यह पता चलेगा कि समय के साथ कीमत में अंतर सौदा दर सौदा आधार पर कीमत में अंतर कम से कम है।

ट. तिमाही तुलना करने का प्रयोजन यह है कि एक समय अवधि के भीतर, कीमत में महत्वपूर्ण अंतर की स्थिति का सामना किया जाए। तथापि, कीमत में अंतर एक ही अवधि के भीतर अधिक होना चाहिए।

ठ. बिना पक्षपात के, आवेदक का अनुरोध है कि प्राधिकारी कृपया व्यक्तिगत आयात सौदों में पाटन का मार्जिन तय करें और उसे पाटित व क्षतिकारी और अपाटित व गैर-क्षतिकारी में अलग-अलग करें। यह देखा जाएगा कि आयातों का महत्वपूर्ण अंश पाटित और क्षतिकारी है। यह अपने आप ही स्थापित हो जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होने की संभावना है।

ड. घरेलू उद्योग के आइ एच एस कैमिकल रिपोर्ट के अनुसार साउथ- ईस्ट एशिया क्षेत्र में प्रचलित सुपुर्दगी आधारित कीमतों के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। सामान्य मूल्य की गणना करने हेतु कीमतों के स्वदेशी माल भाड़ा, सीमा शुल्क और बंदरगाह व्यय के लिए समायोजित किया गया है।

ढ. घरेलू उद्योग ने डी जी सी आई एण्ड एस से आयात संबंधी आंकड़े प्राप्त किए हैं और उन पर निर्यात कीमत के लिए भरोसा किया है। निर्यात कीमत को समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, हैंडलिंग चार्ज, बैंक प्रभार तथा कमीशन के लिए समायाजित किया गया है।

ण. निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली उत्तर में भ्रामक विवरण दिए हैं। टी ए एफ सोडियम बाईसल्फाइट नामक कच्चे माल की खरीद अपनी ग्रुप कंपनी आदित्य बिड़ला केमिकल्स, थाईलैंड से करता है। आदित्य बिड़ला केमिकल्स टी ए एफ के परिसर में ही स्थित है।

त. निर्यातक और आयातक का आचरण संदिग्ध है। डी आर आई ने बड़ी मात्रा में वसूलियां की हैं। यह उल्लेख किया जाता है कि महत्वपूर्ण आयातों की गलत घोषणा की गई है।

च. 2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

37. विदेशी उत्पादकों/ निर्यातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए है :-

क. प्राधिकारी को वर्तमान मामले में पाटन और क्षति मार्जिन की तिमाही जांच करनी चाहिए क्योंकि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की लागत और कीमत में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव रहा है।

ख. ऐसा उतार चढ़ाव होने का तिमाही विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि उचित जांच हो सके।

ग. एक्रिलोनाइट्राइल की आपूर्ति अत्यधिक कीमतों के साथ पहले अर्ध वर्ष में अनियोजित बंदी के चलते कम रही।

घ. गैर क्षतिकारी और क्षतिकारी आयातों/ पाटित और अपाटित आयातों को अलग-अलग करने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए और डब्ल्यू टी ओ व्यवस्था में इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए।

ङ. टीएएफ एक सिंगल संस्था है, जहां विद्युत का उत्पादन एकीकृत है और इसका उपयोग केवल एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन के लिए किया जाता है। यूटिलिटी की कोई आंतिरिक अंतरण कीमत नहीं है और वास्तविक लागत का ब्यौरा उत्तर में प्रदान किया गया है।

च. टी ए एफ ने संबद्ध वस्तुओं के रुप में किसी अपशिष्ट का निर्यात नहीं किया है। वास्तव में अपशिष्ट का आयात, जो कि वर्ष 2012-13 में *** मी. टन और 2016-17 में *** मी. टन था, वह वर्ष 2018-19 (जांच की अवधि) में गिरकर *** मी. टन और जांच की अवधि (पी ओ आई) के बाद (अप्रैल- 2019 - जनवरी 2020) *** मी. टन हो गया है।

छ. नियमों के तहत तिमाही आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करने पर कोई रोक नहीं है।

ज. डी जी टी आर द्वारा प्रकाशित प्रचालन प्रक्रिया मैनुअल में यह कहा गया है कि कुछ मामलों में, मासिक अथवा तिमाही निर्यात कीमतें/ सामान्य मूल्य की गणना करनी आवश्यक होनी चाहिए, विशेषकर अधिक अस्थिर बाजार कीमतों वाले उत्पादों के मामले में।

झ. निम्नलिखित जांचों में तिमाही जांच की गई है :-

i. यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल के अथव वहां से निर्यातित 1500 सीरीज और 1700 सीरीज के स्टायरीन बुटाडीन रबर (एस बी आर) के आयातों के संबध में जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 12 जुलाई, 2017- डीजीटीआर/ डीजीएडी द्वारा तिमाही आधार पर पाटन और क्षति की जांच की गई।

ii. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैट बेस स्टील व्हील के आयातों के संबंध में जांच – अंतिम जांच परिणाम दिनांक 28 नवंबर, 2007 - डीजीटीआर/ डीजीएडी द्वारा आयात संबंधी मापदंडों की तिमाही जांच की गई।

iii. यूरोपीय संघ के मूल की अथवा वहां से निर्यातित डी (-) पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लिसरीन बेस (पी एच पी जी बेस) के संबंध में जांच – दिनांक 7 मार्च, 2003 - डीजीटीआर/ डीजीएडी द्वारा आयात संबंधी मापदंडों का तिमाही और मासिक जांच की गई।

iv. भारत कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2017 के तहत दिनांक 11.05.2020 को कोरिया गणराज्य से भारत में "फ्थेलिक एनहाइड्राइड" के आयातों के संबंध द्विपक्षीय सुरक्षा जांच के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम – डी जी टी आर द्वारा भारतीय उत्पादकों द्वारा यथा प्रस्तावित क्षति अवधि के लिए क्षति तिमाही जांच।

v. कोरिया से डियोक्टाइल टेरेफ्थेलेट (डी ओ टी पी) की जांच सं. 731-टीए- 1330 (अंतिम) –अगस्त, 2017 – यू एस आई टी सी (यू एस ए अथोरिटी) द्वारा क्षति की जांच के संबंध में तिमाही डाटा का प्रयोग किया गया।

vi. चीन, भारत, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड और यूक्रेन से हॉट-रोल्ड स्टील उत्पाद – अगस्त, 2019 – क्षति की जांच करने के लिए लिया है। डाटा का प्रयोग किया गया – यू एस आई टी सी (यू एस ए अथोरिटी)।

vii. चीन जन. गण. के मूल की आयात, नॉन अलॉय अथवा अन्य अलॉय स्टील के कतिपय हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क, दिनांक 5 अप्रैल, 2017 – यूरोपीय आयोग ने पाटन और क्षति पैरामीटरों की तिमाही जांच की (ई यू अथोरिटी) ।

ट. टी ए एफ ने लागत में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव को देखते हुए तिमाही आधार पर सामान्य मूल्य की निर्यात कीमत की तुलना करने की मांग की है।

च. 3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

38. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से केवल एक उत्पादक/ निर्यातक नामतः थाई एक्रिलिक फाइबर कं. लि. ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है।

<u>सामान्य मूल्य</u>

39. यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 (1) (ग) के तहत, किसी वस्तु के सामान्य मूल्य से तात्पर्य यह है कि :-

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः

क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमानुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

ख. उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु, यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं हुआ है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ. 3.1 <u>थाई एक्रिलिक फाइबर कं. लि. (टी ए एफ) के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

40. थाई एक्रिलिक फाइबर कं. लि. के लिए सामान्य मूल्य उत्पादक/ निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर निर्धारित किया गया है। टी ए एफ ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध पक्षकारों और असंबद्ध पक्षकारों को घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया था कि टीएएफ ने घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को *** टी एच बी निवल इनवॉयस मूल्य के साथ संबद्ध वस्तुओं की *** मी. टन और असंबद्ध ग्राहकों को *** टी एच बी निवल इनवॉयस मूल्य की *** मी. टन बिक्री की है। संबद्ध ग्राहकों ने अपने उत्पादों के निर्माण के लिए संबद्ध वस्तुओं की खपत की है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया आयोजित की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्रियों के सौदों (संबद्ध और असंबद्ध बिक्रियां) का निर्धारण किया जा सके। प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया गया था कि लाभ अर्जित करने वाले सौदे 80% से कम हैं और इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बाजार में केवल लाभ अर्जित करने वाले सौदों पर ही विचार किया है।

41. टीएफ ने घरेलू बिक्रियों की कीमत से स्वदेशी माल भाड़ा, बिक्री व्यय और क्रेडिट व्यय के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सत्यापन करने के बाद समायोजनों की अनुमति दी है। तदनुसार, टी ए एफ के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर इस प्रकार से निर्धारित भारित औसत सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.3.2 <u>थाईलैंड से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

42. थाईलैंड से अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

छ.3.3 <u>थाई एक्रेलिक फाइबर कं. लि. (टीएएफ) के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

43. टी ए एफ द्वारा दाखिल किए गए उत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टी ए एफ ने सीधे असंगत ग्राहकों को भारत में संबद्ध वस्तुओं की *** मी. टन मात्रा का निर्यात किया है। टी ए एफ ने सी आई एफ शर्तों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। टी ए एफ ने समुद्री और स्वदेशी मालभाड़ा, बंदरगाह हैंडलिंग व्यय, बीमा, बिक्री व्यय, क्रेडिट व्यय और प्रोत्साहन के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने प्रोत्साहन दावे को छोड़कर सभी कटौतियों की अनुमति दी है। तदनुसार, टी ए एफ के लिए इस प्रकार से निर्धारित कारखाना बाह्य स्तर पर भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

छ.3.4 <u>थाईलैंड से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

44. थाईलैंड से अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए, कारखाना बाह्य स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>पाटन मार्जिन की गणना</u>

45. यथानिर्धारित उपर्युक्त सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना करके, पीओआई के दौरान संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका

संबद्ध देश	निर्माता	निर्यातक	सामान्य मूल्य	पूर्व कारखाने के निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
			यूएस डॉलर/ मीट्रिक टन	यूएस डॉलर / मीट्रिक टन	यूएस डॉलर/ मीट्रिक टन	%	रेंज
थाईलैंड	टीएएफ	टीएएफ	***	***	***	***	10-20
थाईलैंड	सभी अन्य	सभी अन्य	***	***	***	***	30-40

46. यह नोट किया गया है कि पाटन मार्जिन, संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों/असहयोगी उत्पादकों निर्यातकों/द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

च. **क्षति और कारणात्मक संबंध का विश्लेषण**

छ.1. **घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

47. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. पाटित आयात की मात्रा 2017-18 तक घट गई है, लेकिन जांच की अवधि के दौरान बढ़ गई है।

ख. शुल्क लगाने के बावजूद संबद्ध देश से पाटित आयात की मात्रा महत्वपूर्ण बनी रही।

ग. बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरू से आयात भी पाटन किया जाता है, और उसी के संबंध में एक अलग जांच जारी है।

घ. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। घरेलू उद्योग पहले से ही ह्रास प्रभाव झेल रहा है। क्षति की अवधि में उत्पादन और बिक्री की कीमतों में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग, लागत में वृद्धि के अनुपात में इसकी कीमत बढ़ाने में सक्षम नहीं था।

ङ. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि में गिरावट आई। भले ही पीओआई में उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, लेकिन पीओआई में प्राप्त स्तर अभी भी अतीत में प्राप्त स्तरों की तुलना में कम थे।

च. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री ने उत्पादन के समान रुझान दिखाया है।

छ. घरेलू उद्योग द्वारा किए जा रहे निर्यात केवल घरेलू बाजार में बेचने के लिए घरेलू उद्योग की अक्षमता का परिणाम हैं।

ज. घरेलू उद्योग द्वारा अपने उत्पाद के लिए बाजार बनाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप आबद्ध खपत बढ़ गई है।

झ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण गिरावट के साथ क्षति की अवधि में गिरावट आई है।

ञ. क्षति की अवधि के दौरान पीबीआईटी में गिरावट आई है।

ट. नकदी प्रवाह और नियोजित पूंजी पर लाभ की अवधि में भी गिरावट आई है।

ठ. अतीत की तुलना में वर्तमान अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। परिस्थितियों में, एडीडी के बंद होने से इसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी।

ड. निर्णायक समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ढ. संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। यह देखते हुए कि देश में उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमता है, पाटित आयात की मात्रा में काफी वृद्धि होगी।

ण. यदि शुल्क समाप्त हो जाता है, तो संबद्ध देश से आयात में और वृद्धि होगी, और घरेलू उद्योग को माल की कीमतों में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे लाभप्रदता, नकदी प्रवाह और आरओसीई पर प्रभाव पड़ेगा।

त. यदि घरेलू उद्योग अपने सामान्य मूल्य स्तरों को बनाए रखने का विकल्प चुनता है, तो वह अपनी बिक्री की मात्रा को खोने के लिए बाध्य है।

थ. अगर बिक्री की मात्रा कम हो जाती है, तो इससे बड़ी क्षति होगी। बिक्री की मात्रा में कमी से निश्चित लागत और माल-सूची में वृद्धि होगी और उत्पादन, क्षमता उपयोग, उत्पादकता और लाभ में कमी होगी।

द. पीओआई के साथ 2016-17 के आंकड़ा की तुलना निम्नलिखित दर्शाती है:

i .घरेलू उद्योग के लाभ में काफी गिरावट आई है

ii. नकद लाभ में गिरावट आई है

iii. आरओसीई में गिरावट आई है ।

ध. आयात का 8% बाजार-हिस्सा बंद होने का कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। शुल्क के बावजूद भी भारत में थाईलैंड से आयात का पाटन जारी है।

न. भारत एक एकाधिकार बाजार नहीं है जहां घरेलू उद्योग अपनी कीमतें निर्धारित कर सकता है। भारत एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी बाजार है। घरेलू उद्योग अपने उत्पादों को गैर-प्रतिस्पर्धी कीमतों पर नहीं बेच सकता है। उच्च एनएसआर का आरोप अर्थहीन है।

प. घरेलू उद्योग ने माल को कम करने के लिए उप-इष्टतम कीमतों पर अपने माल की प्रदायगी की। इससे लाभप्रदता का नुकसान हुआ।

फ. वार्षिक रिपोर्ट में सार्वजनिक बयान इस निष्कर्ष को नहीं बदलते हैं कि उत्पाद के पाटन ने घरेलू उद्योग की क्षति में योगदान दिया है।

ब. हितबद्ध पार्टियों की यह धारणा कि पाटन घरेलू उद्योग के लिए क्षति का एकमात्र कारण होना चाहिए, गलत है।

भ. वार्षिक रिपोर्ट में बयान क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट के संबंध में नहीं हैं। प्राधिकारी का निर्णय अकेले पीओआई पर आधारित नहीं है।

म. प्राधिकारी, कंपनी के घरेलू परिचालन के बारे में चिंतित है। वार्षिक रिपोर्ट समग्र परिचालन से संबंधित हैं।

य. रोजगार और मजदूरी कई अन्य मापदंडों पर निर्भर हैं और घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

छ .2. **<u>अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा अनुरोध</u>**

48. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत अनुरोध इस प्रकार हैं:

क. घरेलू उद्योग के क्षति के आंकड़े कथित रूप से पाटन किए गए आयातों के कारण सामग्री की क्षति को जारी नहीं रखते हैं।

ख. यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि 16 अप्रैल 2018 को, डीजीटीआर ने घरेलू उद्योग को नहीं की गई क्षति के कारण चीन, बेलारूस, यूक्रेन, ईयू और पेरू से एक्रिलिक फाइबर, के संबंध में एडी जांच समाप्त की थी। पीओआई 2016-17 था, जबकि इस जांच के लिए पीओआई 2018-19 है।

ग. सभी प्रमुख मापदंडों के विषय में 2016-17 और 2018-19 के बीच घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में और सुधार हुआ है।

घ. अंतिम जांच परिणाम 2016-17 के वर्ष में 50-60% आरओसीई के बारे में बताया गया। वर्तमान पीओआई में, डीआई को अनुक्रमित आंकड़ों से अतिरिक्त के रूप में 40-50% की तीव्रता में एक आरओसीई अर्जित करना चाहिए।

ङ. घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान अपनी क्षमता में लगभग 5000 मीट्रिक टन की वृद्धि की है, जो किसी भी उद्योग के लिए अच्छी स्थिति का सूचक है। नए निवेश का आसव स्पष्ट रूप से बड़ी क्षति की अनुपस्थिति का संकेत है।

च. ऐक्रेलिक फाइबर भारत में बड़ी संख्या में स्पिनरों के लिए एक इनपुट है और अभी भी थाईलैंड से आयात भारतीय मांग का केवल 8% था। 65% बाजार हिस्सेदारी अभी भी घरेलू उद्योग के पास थी।

छ. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य बहुत अधिक रहा है और चोट की अवधि भी।

ज. घरेलू उद्योग के साथ औसत माल-सूची का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में गिरावट आई है जो एक सकारात्मक मापदंड भी है।

झ. लागत में वृद्धि सीधे ब्याज में वृद्धि से जुड़ी हुई है। जो ब्याज 10.65 करोड़ भारतीय रुपए था वह पीओआई में बढ़कर 15.15 करोड़ भारतीय रुपए हो गया।

ञ. पीओआई को कवर करने वाली भारतीय ऐक्रेलिक लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि प्रमुख कच्चे माल की कीमतों की आवाजाही ने पीओआई की पहली छमाही में घरेलू उद्योग पर कुछ कीमत दबाव बनाया था, लेकिन इसे कम कर दिया गया है। कच्चे माल के कारण लागत में किसी भी वृद्धि को थाईलैंड से आयात के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

ट. जबकि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है, उत्पादन की प्रति यूनिट मजदूरी और मजदूरी में वृद्धि हुई है। प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई है।

ठ. क्षति मापदंडों ने समग्र सुधार और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

ड. पीओआई में आयात की पहुंच कीमत में 31% की वृद्धि हुई है।

छ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

49. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल

बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है ।

50. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध में जांच के दौरान अनुरोध किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले दस्तावेजों की जांच की जाती है और निम्न के रूप में संबोधित किया जाता है:

छ.3.1 <u>मांग और मार्केट शेयर का आकलन</u>

51. भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के रूप में भारत में उत्पाद की वर्तमान जांच, मांग या स्पष्ट खपत के उद्देश्य से प्राधिकारी ने परिभाषित किया है। इस प्रकार मूल्यांकन की गई मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

मांग	**यूनिट**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मीट्रिक टन	68,785	57,143	58,875	61,919
	सूचकांक	100	83	86	90
आयात - थाईलैंड	मीट्रिक टन	13,670	10,747	8336	8797
	सूचकांक	100	79	61	64
आयात - अन्य देश	मीट्रिक टन	21,094	20,314	19,908	26,049
	सूचकांक	100	96	94	123
	मीट्रिक टन	1,03,549	88,205	87,119	96,765
कुल मांग (आबद्ध को छोड़कर)	सूचकांक	100	85	84	93
	मीट्रिक टन	***	***	***	***
डीआई द्वारा आबद्ध खपत	सूचकांक	100	347	508	704
	मीट्रिक टन	***	***	***	***
कुल मांग (आबद्ध खपत सहित)	सूचकांक	100	90	91	104
मार्केट हिस्सा (आबद्ध सहित)					
	%	67	67	70	68
घरेलू उद्योग (आबद्ध सहित)	सूचकांक	100	98	103	97
	%	13	1 1	9	8
संबद्ध देश	सूचकांक	100	85	69	62
	%	20	22	21	24
अन्य देश	सूचकांक	100	110	105	120
कुल	%	100	100	100	100

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2016-17 और 2017-18 में विचाराधीन उत्पाद (आबद्ध खपत को छोड़कर) की मांग में कमी आई है लेकिन इसके बाद पीओआई में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी कमोबेश क्षति की अवधि के दौरान स्थिर रही।

53. दूसरी ओर संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में 13% से घटकर पीओआई में 8% हो गई है।

छ 3.2 <u>घरेलू उद्योग पर पाटित आयात की मात्रा और कीमत प्रभाव</u>

54. संबद्ध देश के साथ-साथ अन्य देशों से आयात किए गए पाटन किए गए आयात की मात्रा के प्रभावों की जांच प्राधिकारी द्वारा की गई है:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
आयात मात्रा					
थाईलैंड	मीट्रिक टन	13,670	10,747	8336	8797
	सूचकांक	100	79	61	64
दूसरे देश	मीट्रिक टन	21,094	20,314	19,908	26,049
	सूचकांक	100	96	94	123
कुल आयात	मीट्रिक टन	34,763	31,062	28,244	34,846
	सूचकांक	100	89	81	100
आयात में बाजार हिस्सेदारी					
थाईलैंड	%	39	35	30	25
	सूचकांक	100	88	75	64
अन्य देश	%	61	65	70	75
	सूचकांक	100	107	115	123
कुल आयात	%	100%	100%	100%	100%
मांग	मीट्रिक टन	1,03,549	88,205	87,119	96,765
	सूचकांक	100	85	84	93
भारतीय उत्पादन	मीट्रिक टन	1,01,386	92,279	86,454	96,907
	सूची	100	91	85	96
के संबंध में विषय:					
मांग	%	13	12	10	9
	सूचकांक	100	88	67	62
भारतीय उत्पादन	%	13	12	10	9
	सूचकांक	100	86	72	67

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद के पाटन आयात की मात्रा में निरपेक्ष दृष्टि से कमी आई है साथ ही देश में खपत और उत्पादन के संबंध में कमी आई है।

56. भारत में कुल आयात से संबद्ध देश से आयात का हिस्सा आधार वर्ष में 39% से घटकर पीओआई में 25% हो गया है।

छ.3.3 <u>पाटित आयात का प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव</u>

57. कीमतों पर पाटित आयात के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में इसी तरह के उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित किए गए आयातों से महत्वपूर्ण मूल्य कम हो गए हैं या क्या इस तरह के आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को बढ़ाने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य रूप से घटित होता।

58. तदनुसार, घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव संबद्ध वस्तु के पाटन किए गए आयातों के संबद्ध देश के मूल्य निर्धारण, कीमत ह्रास/न्यूनीकरण और कम कीमत पर बिक्री, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से बिक्री की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और घरेलू उद्योग के क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयात की गई कीमत के साथ की गई है।

झ. <u>कीमत कटौती</u>

59. भारत में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ संबद्ध देश से आयात की पहुंच कीमत की तुलना करके कम कीमत का निर्धारण किया गया है।

विवरण	**इकाई**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**पीओआई**
निवल बिक्री प्राप्ति	रुपये/मीट्रिक टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	97	112	133
थाईलैंड					
पहुंच कीमत	रुपये/मीट्रिक टन	1,29,827	1,16,687	1,38,433	1,71,013
कीमत कम करना	रुपये/मीट्रिक टन	***	***	***	***
% कीमत कम करना	%	***	***	***	***
मूल्य कम करना	रेंज	0-10	5-15	0-10	0-10

60. ऊपर दी गई तालिका से यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयात की भूमि की कीमत पीओआई सहित क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमत को कम कर रही है।

II. <u>कीमत ह्रास/न्यूनीकरण</u>

61. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं या उन्हें प्रभावित कर रहे हैं और इस तरह के आयातों का प्रभाव कीमतों को एक महत्वपूर्ण स्तर तक ह्रास करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण स्तर तक घटित होता है, प्राधिकारी क्षति की अवधि में लागत और कीमत परिवर्तनों को नोट करते हैं। स्थिति नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शाई गई है:

विवरण	**इकाई**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**पीओआई**
बिक्री की लागत	रुपये / टन मीट्रिक	***	***	***	***
	सूचकांक	100	93	113	142
बिक्री कीमत	रुपये / टन मीट्रिक	***	***	***	***
	सूचकांक	100	97	112	133
संबद्ध देश से पहुंच कीमत	रुपये / टन मीट्रिक	1,29,827	1,16,687	1,38,433	1,71,013
	सूचकांक	100	90	107	132

62. आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में बिक्री की लागत में 42% की वृद्धि हुई है, जबकि आवेदक उसी अवधि के दौरान बिक्री मूल्य को 32% तक बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। इसलिए, आयात ने घरेलू बिक्री कीमत पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

III. कम कीमत पर बिक्री

63. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश से पाटित आयात के कारण कम कीमत पर बिक्री की भी जांच की है। यह नोट किया जाता है कि पाटित आयात के कारण कम नकारात्मक कम कीमत बिक्री नीचे दी गई तालिका में दर्शाये गए अनुसार हुई है :

विवरण	इकाई	थाईलैंड
क्षतिरहित कीमत	यूएस डॉलर/मीट्रिक टन	***
पीओआई में आयात की पहुंच कीमत	यूएस डॉलर/मीट्रिक टन	2,414.76
कम कीमत पर बिक्री	यूएस डॉलर/मीट्रिक टन	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज%	(0-10)

छ. 3.4 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंडों की जांच

64. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

65. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

I. क्षमता, उत्पादन क्षमता उपयोग और बिक्री

66. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा पर विचार किया है और इसका नोट निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
क्षमता	मीट्रिक टन	1,04,000	1,04,000	1,04,000	1,09,000
	सूचकांक	100	100	100	105
उत्पादन	मीट्रिक टन	1,01,386	92,279	86,454	96,907
	सूचकांक	100	91	85	96
क्षमता उपयोग	%	97%	89%	83%	89%
	सूचकांक	100	91	85	91
घरेलू बिक्री	मीट्रिक टन	68,785	57,143	58,875	61,919
	सूचकांक	100	83	86	90

मांग	मीट्रिक टन	1,03,549	88,205	87,119	96,765
	सूचकांक	100	85	84	93

67. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि:

i. घरेलू उद्योग ने पीओआई में अपनी क्षमता बढ़ाई है।

ii. 2017-18 तक घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है, लेकिन पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है। क्षमता उपयोग के मामले में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है।

iii. 2016-17 में घरेलू बिक्री की मात्रा में कमी आई लेकिन इसके बाद 2017-18 और पीओआई में वृद्धि हुई है।

II. मांग में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी

68. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयात के प्रभावों की जांच निम्नानुसार की गई है। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा (आबद्ध खपत सहित) कमोबेश क्षति की पूरी अवधि के दौरान समान स्तर पर बनी हुआ है। हालांकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से (कैप्टिव खपत को छोड़कर) में 18 वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 10 प्रतिशत तक गिरावट आई है।

बाजार में हिस्सेदारी	**यूनिट**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**पीओआई**
घरेलू उद्योग	%	67	67	70	68
	सूचकांक	100	98	103	97
संबद्ध देश (कैप्टिव खपत सहित)	%	13	1 1	9	8
	सूचकांक	100	85	69	62
अन्य देश	%	20	22	21	24
	सूचकांक	100	110	105	120

III. मालसूची

69. इसके अलावा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के औसत माल सूची-स्तर में भी जांच की अवधि में गिरावट के पूर्व 2017-18 तक बढ़ती हुई प्रवृति को दर्शाया है।

विवरण	**इकाई**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**पीओआई**
औसत माल-सूची	मीट्रिक टन	3,725	4616	5549	4072
	सूचकांक	100	124	149	109

IV. लाभ, नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर आय

70. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच नियोजित पूंजी पर लाभ, नकद लाभ और वापसी लाभ के संबंध में की गई है।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	POI
घरेलू बिक्री की लागत	रुपये/ मीट्रिक टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	93	113	142
बिक्री कीमत	रुपये/ मीट्रिक टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	97	112	133
प्रति यूनिट लाभ/हानि	रुपये/ मीट्रिक टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	123	110	61
लाभ/हानि	रुपये लाख में	***	***	***	***
	सूचकांक	100	102	95	55
नकद लाभ	रुपये लाख में	***	***	***	***
	सूचकांक	100	102	95	60
ब्याज और कर से पहले लाभ	रुपये लाख में	***	***	***	***
	सूचकांक	100	102	96	63
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	%	***	***	***	***
	सूचकांक	100	101	81	53

71. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि:

लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी, लगाई गई पूंजी पर लाभ में पिछले तीन वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कमी आई है।

V .रोजगार और मजदूरी

72. नीचे दी गई तालिका से यह देखा गया है कि 2016-17 में कर्मचारियों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा वेतन और मजदूरी की अवधि क्षति की अवधि के दौरान बढ़ रही है।

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
कर्मचारियों	संख्या	1,369	1,377	1,377	1,377
	सूचकांक	100	101	101	101
वेतन और मजदूरी	रुपये लाख में	***	***	***	***
	सूचकांक	100	111	113	119

VI. वृद्धि

73. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि मापदंडों की जांच नीचे दी गई है।

वृद्धि	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
उत्पादन	%	-	-9	-6	12
घरेलू बिक्री	%	-	-17	3	5
क्षमता का उपयोग	%	-	-9	-6	7
लाभ/ प्रतिइकाई हानि	%	-	23	-10	-45
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	1	-20	-34
बाजार हिस्सा – डीआई (आबद्ध सहित)	%	-	-	3	-2

74. यह भी देखा जा सकता है कि उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग की पीओआई में सकारात्मक वृद्धि हुई है। प्रति यूनिट लाभ/हानि, आरओसीई और बाजार हिस्सा जैसे मापदंडो का पीओआई में नकारात्मक वृद्धि रही है।

VII. पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

75. संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि यह महत्वपूर्ण भी है।

VII. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

76. घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमतें संबद्ध देश से पाटित आयातों से प्रभावित हुई हैं क्योंकि संबद्ध देश से पाटित आयात के कारण कीमत ह्रास हुआ है।

IX. नए निवेश जुटाने की क्षमता

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अच्छा लाभ कमा रहा है और नियोजित पूंजी पर अच्छा लाभ कमा रहा है , इसलिए इसमें नए निवेश जुटाने की क्षमता है।

छ .3.5 <u>क्षति संबंधी निष्कर्ष</u>

78. सामग्री की क्षति से संबंधित विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा में स्वतंत्र रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में कमी हुई है ।

ख. पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग जैसे मापदंडों में सुधार हुआ है।

ग. पिछले वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान लाभप्रदता के मापदंडों में कमी आई है।

घ. संबद्ध देश से पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ.3.6 <u>कारणात्मक संबंध</u>

79. पाटनरोधी नियमों के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ, पाटित आयात के अलावा किसी भी ज्ञात कारक की जांच करने की आवश्यकता है, जो एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति के लिए पाटित आयात को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सके।

80. यह जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध निम्नलिखित अन्य कारक घरेलू उद्योग द्वारा हुई क्षति में योगदान दे सकते थे।

I. तृतीय देशों से आयातों की मात्रा एवं कीमत

81. प्राधिकारी ने नोट किया है कि पीओआई में तृतीय देशों (ई.यू., बेलारुस, यूक्रेन एवं पेरू) से विचाराधीन उत्पाद की आयातों की मात्रा निश्चय ही महत्वपूर्ण है। प्राधिकारी ई.यू., बेलारुस, यूक्रेन एवं पेरू से एक्रेलिक फाइबर के आयातों के संबंध में एक समानांतर पाटन रोधी जांच आयोजित कर रहे हैं।

II. निर्यात निष्पादन

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद की महत्वपूर्ण मात्रा निर्यातित की गई है। पीओआई के दौरान निर्यात बिक्रियों में गिरावट आई है किंतु यह अभी भी महत्वपूर्ण हैं।

विवरण	युनिट	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
घरेलू बिक्री मात्रा	मी.ट.	68,785	57,143	58,875	61,919
	सूचकांक	100	83	86	90
निर्यात बिक्री मात्रा	मी.ट.	31,337	26,683	18,974	24,995

ग. आबद्ध बिक्रियां

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की सीमित (कैप्टिव) बिक्रियों में प्रतिपादक रूप से वृद्धि हुई है। जहां क्षति अवधि में घरेलू बिक्रियों की मात्रा में गिरावट आई है वहीं दूसरी ओर कैप्टिव बिक्रियों की मात्रा में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई है।

विवरण	युनिट	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
घरेलू बिक्री मात्रा	मी.ट.	68,785	57,143	58,875	61,919
	सूचकांक	100	83	86	90
कैप्टिव बिक्री मात्रा	मी.ट.	***	***	***	***
	सूचकांक	100	347	508	704

IV. प्रौद्योगिकी का विकास

84. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग को क्षति के कारण के रुप में प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

V. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस आशय का कोई निवेदन प्रस्तुत नहीं किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभव कारण हो सकता है।

VI. व्यापार प्रतिबंध पद्धतियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

86. संबद्ध वस्तुओं का आयात किसी भी तरीके में प्रतिबंधित नहीं है और ये देश में मुक्त रुप से आयात योग्य हैं। घरेलू उत्पादक ने संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमतें संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतों द्वारा उल्लेखनीय रुप से प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा

यह सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों में कोई परिवर्तन हुआ है।

vii. मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में समान पैटर्न का अनुसरण किया गया है जैसा कि मांग के लिए अनुसरित किया गया था। संगत वर्षों के दौरान मांग में गिरावट भी एक कारक है जिसे पिछले कुछ वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों में गिरावट के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है।

विवरण	युनिट	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
घरेलू बिक्री मात्रा	मी.ट.	68,785	57,143	58,875	61,919
	सूचकांक	100	83	86	90
कुल मांग (कैप्टिव के अतिरिक्त)	मी.ट.	1,03,549	88,205	87,119	96,765
	सूचकांक	100	85	84	93

viii. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध मकें न तो घरेलू उद्योग न ही किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई निवेदन किया गया है।

झ. पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति की संभावना

झ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

89. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैः-

क. टीएएफ पांचवा सबसे बड़ा विनिर्माता और विश्व में पीयूसी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

ख. टीएएफ थाईलैंड में पीयूसी का एकमात्र उत्पादक है।

ग. टीएएफ की क्षमता समान बनी रही है। तथापि, कंपनी ने एक्रेलिक फाइबर की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक और श्रृंखला स्थापित की है।

घ. सभी बाजारों में टीएएफ की बिक्रियों में गिरावट आई है, भारत को निर्यातों कें 27% की गिरावट आई है, तृतीय देशों के निर्यातों में 8% की गिरावट आई है और घरेलू बिक्रियों में 2% की गिरावट आई है।

ङ. बिक्रियों में गिरावट के बावजूद टीएएफ की मालसूची में गिरावट आई है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि टीएएफ ने उत्पादन में कटौती को अपनाया है।

च. थाईलैंड में उत्पाद की मांग में गिरावट आई है। यह स्पष्ट रुप से दर्शाता है कि टीएएफ के पास अधिशेष क्षमताओं में वृद्धि हुई है।

छ. टीएएफ के लिए बिक्री की लागत में 37% की वृद्धि हुई है किंतु घरेलू बिक्री कीमत में केवल 22% की वृद्धि हुई है और भारत को निर्यात कीमत में केवल 14% की वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है किः-

i. टीएएफ लागत में वृद्धि के समानुपात में कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था।

ii. घरेलू कीमतों में वृद्धि भारत को निर्यात कीमत में वृद्धि की तुलना में अधिक थी।

iii. पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जारी अवधि में पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है।

iv. टीएएफ कीमतों की बजाए बाजार गतिविधियों के आधार पर अपनी कीमतें निर्धारित करता है।

ज. प्रश्नावली का उत्तर समान स्थिति की पुष्टि करता है। यह बतलाता है कि कंपनी द्वारा कोई कीमत सूची अनुरक्षित नहीं की जाती क्योंकि कीमतें अभिभावी बाजार स्थितियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

झ. लागू शुल्क के बावजूद संबद्ध देश से पाटन जारी रहा है।

ञ. आयातों ने घरेलू उद्योगों की कीमतों में 5% तक कटौती की है।

ट. विदेशी उत्पादक घरेलू मांग से बहुत अधिक महत्वपूर्ण अधिशेष उत्पादन क्षमता से युक्त हैं।

ठ. निर्यातों और उत्पादन पर विचार करते हुए, विदेशी उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुखी है, इसकी बिक्री का 85% निर्यात बिक्रियों के कारण हैं।

ड. विदेशी उत्पादक के क्षमता उपयोग का स्तर निम्न है।

ढ. यह शुल्क की समाप्ति विद्यमान रहती है तो घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आकर यह *** भारतीय रुपए /मी.टन से भारतीय रुपए ***/मी.टन की हानि तक कम हो जाएगा, आर ओ आई में ***% की गिरावट आएगी और नकद लाभों में भारी राशि की गिरावट आएगी।

ण. वर्तमान पीओआई में पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

त. संबद्ध देश से निर्यातक न केवल भारत में बल्कि अन्य देश में भी पाटन कर रहे हैं।

थ. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

द. अन्य देश के लिए निर्यात कीमत भारत के निर्यात कीमत की तुलना में निम्न है।

ध. घरेलू उद्योग ने पीओआई पश्चात आंकड़े भी उपलब्ध कराए हैं जो संबद्ध आयातों में स्पष्ट रुप से वृद्धि को दर्शाते हैं।

झ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

90. याचिका में उपलब्ध कराई गई पाटन और क्षति की संभावना पर सूचना समग्र रुप से अपर्याप्त और अविश्वसनीय है।

क. नियम 23 में स्पष्ट रुप से बताया गया है कि पाटन और क्षति की संभावना को एक साथ विद्यमान होना चाहिए। यह भी एकदम स्पष्ट है कि ऐसी संभावना के परिणामों को प्रदर्शित करने का दायित्व घरेलू उद्योग पर है। संभावना को पूर्वानुमानों और अटकलों के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता।

ख. थाईलैंड से आयातों की कीमत और मात्रा की प्रवृत्ति से पाटन और क्षति की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। आंकड़े कीमत में वृद्धि के साथ थाईलैंड से आयातों में गिरावट को दर्शातें हैं। 2015-16 में आयात 13670 मी.टन था और पीओआई में गिरकर 8797 मी.टन रह गया था। इसमें 35% की गिरावट आई है। पीओआई में 2015-16 के बाद से आयातों में 31% की वृद्धि हुई है।

ग. आयातों में गिरावट थाई उत्पादकों के लिए कहीं और बेहतर बाजार की उपलब्धता को दर्शाता है।

घ. तीसरे देशों को निर्यातों का 97-99% भाग भारत को निर्यात कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण रुप से उच्च कीमत पर उपलब्ध था, ऐसे निर्यातों का लगभग 80-85% लगभग 7-15% तक उच्च कीमत पर था।

ङ. कंपनी के पास शुल्कों के समाप्ति के आधार पर भारत को ऐसी किसी मात्रा के निपटान के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ऐसे शुल्कों की समाप्ति के पश्चात भी अन्य बाजारों में उपलब्ध कीमतें ज्यादा आकर्षक हैं।

च. संपूर्ण क्षति अवधि में टीएएफ एक बहुत उच्च क्षमता उपयोग स्तरों पर प्रचालन कर रहा है। पिछलें 10 वर्षों से यही स्थिति विद्यमान है।

छ. यह तथ्य कि वर्षों में आयातों में गिरावट आई है किंतु इसकी कीमतों में वृद्धि हुई है यह इस बात का साक्ष्य है कि कोई अनुपयोगिता अथवा अधिक क्षमता का नहीं है।

ज. क्षति अवधि के दौरान पी यू सी के मालसूची स्तर में गिरावट आई है। कंपनी के पास कोई महत्वपूर्ण मालसूची उपलब्ध नहीं है।

झ. क्षति अवधि और पीओआई के दौरान लगातार क्षति का अभाव भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है जो वर्तमान शुल्कों की समाप्ति के कारण किसी पाटन और क्षति की संभावना को दूर करता है।

ञ. क्षति के सभी मापदंड एक मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बहुत उच्च है।

ट. पीओआई में आरओसीई का स्तर 40-50% के आसपास बना रहा है और यह अपने आप में किसी क्षति को नहीं दर्शाता।

ठ. निर्यातक का यह उचित अनुमान है कि घरेलू उद्योग का एन एस आर, एन आई पी की तुलना में उच्च है।

ड. बढ़ती कीमत के साथ निर्यात में गिरावट आ रही है।

ढ. कीमत और निर्यात की तुलना ऐसा मापदंड नहीं है जिसकी संभावना के निर्धारण के लिए जांच की जा सके।

ण. यदि एडीडी सहित पहुंच कीमतें घरेलू उद्योगों को क्षति का कारण नहीं है तो एडीडी के बिना भी पहुंच कीमतें घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं बन सकतीं।

त. क्षमता उपयोग भी एक निश्चित अवधि में उत्पाद मिश्र पर निर्भर करता है और इसे एक निश्चित अवधि के लिए निम्न क्षमता उपयोग को पाटन की क्षमता को इंगित करने वाले एक कारक के रुप में नहीं माना जा सकता।

झ.2. प्राधिकारी द्वारा जांच

91. वर्तमान जांच थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाना जरुरी है कि क्या पाटन रोधी शुल्क के अधिरोपण को जारी रखना जरुरी है। यहां इस जांच की आवश्यकता है कि क्या लगाया गया शुल्क अभिप्रेरित उद्देश्य को पुरा कर रहा है।

92. ऐसे संभावित विश्लेषण को आयोजित करने के लिए कोई विशेष पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमों के अनुबंध II के खंड (VII) में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों के बारे में भी व्यवस्था की गई है जिन्हें ध्यान में रखा जा सकता है, अर्थातः-

क. भारत में प्रवेश कर रहे पाटित आयातों की उल्लेखनीय दर महत्वपूर्ण रुप से बढ़े हुए आयातों की संभावना की ओर संकेत करते हैं,

ख. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रुप से निस्तारणीय (डिस्पोजेबल) अथवा तत्काल, महत्वपूर्ण वृद्धि अतिरिक्त निर्यातों को अमामेलित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों में महत्वपूर्ण रुप से बढ़े हुए पाटित आयातों की संभावना की ओर इंगित कर रही है,

ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जो घरेलू कीमतों पर उल्लेखनीय रुप से ह्रासित या न्यूनीकरण प्रभाव डालेंगे और आगे अधिक आयातों की मांग में वृद्धि करेंगे, और

घ. वस्तु की मालसूचियों की जांच की जा रही है।

93. इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने पाटन की पुनरावृत्ति अथवा उसके जारी रहने और परिणामतत: घरेलू उद्योग को क्षति की संभावाना रखने वाले अन्य संगत कारकों की भी जांच की है। संभावना के मापदंडों की जांच निम्नानुसार है:-

IX. पाटनरोधी शुल्क की उपस्थिति में पर्याप्त मात्रा में सतत प्रयास

94. संबद्ध जांच में निर्यात विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	**यूनिट**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**पीओआई**	**पीओआई पश्चात (क)**
थाईलैंड से आयात	मी.टन	13,670	10,747	8,336	8,797	15,502
	सूचकांक	100	79	61	64	113

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा में संपूर्ण क्षति अवधि और पीओआई के दौरान गिरावट आई है। तथापि, पीओआई पश्चात अवधि में इन आयातों में वृद्धि हुई है।

I. कीमत ह्रास/ कटौती

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत ने पीओआई सहित क्षति पूर्व जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमतों में कटौती की है।

97. आयातों के कारण घरेलू बिक्री कीमत पर एक ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है और पीओआई में कीमत से कम कीमत पर बिक्री भी हुई है। इस प्रवृत्ति के जारी रहने की संभावना है।

II. अधिशेष मालसूची

98. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यात करने वाले उत्पादक के पास अत्यधिक मालसूची नहीं हैं जिसका निर्यात भारत को किया जा सकता है । हालांकि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में उत्पाद में बहुत अधिक कटौती भी हुई है ।

III. विदेशी उत्पादकों के पास मुक्त प्रबंध क्षमताएं

99. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि थाईलैंड के विदेशी उत्पादक, (टीएएफ) जिसने इस जांच में भाग लिया है, के क्षमता के उपयोग में 14 प्रतिशत (2015-16 में 108 प्रतिशत से जांच की अवधि में 94 प्रतिशत तक) गिरावट आई है और इस कारण से विदेशी उत्पादक के पास उपयोग न की गई क्षमताएं हैं ।

IV वर्तमान और पिछला पाटन मार्जिन

100. मूल, मध्यावधि और निर्णायक समीक्षाओं तथा वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन का स्तर बहुत अधिक है। कीमत में कटौती के स्तर को देखते हुए, पाटित आयातों की मात्रा में शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

V. पीओआई - पश्चात विश्लेषण

101. प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के निर्धारण के प्रयोजनार्थ एक पीओआई - पश्चात विश्लेषण भी आयोजित किया है। इसके संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुत है:-

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-2018	पीओआई	पीओआई पश्चात (क)
आयात मात्रा - थाईलैंड	मी.टन	13,670	10,747	8,336	8,797	15,502
	सूचकांक	100	79	61	64	113
मांग	मी.टन	103,549	88,205	87,119	96,765	113,022
	सूचकांक	100	85	84	93	109
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	68,785	57,143	58,875	61,919	54,017
	सूचकांक	100	83	86	90	79
भारतीय उत्पादन	मी.टन	101,636	92,279	86,454	96,907	105,860
	सूचकांक	100	91	85	95	104
क्षमता	मी.टन	104,000	104,000	104,000	109,000	109,000
	सूचकांक	100	100	100	105	105
क्षमता उपयोग	%	97	89	83	89	97
	सूचकांक	100	91	85	91	100
निर्यात बिक्री	मी.टन	31,337	26,683	18,974	24,995	27,890
	सूचकांक	100	85	61	80	89
कैप्टिव बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***	-
	सूचकांक	100	347	508	704	-
औसत मालसूची	मी.टन	3,725	4616	5549	4072	5260
	सूचकांक	100	124	149	109	141
बिक्रियों की लागत	भारतीय रु./मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचकांक	100	93	113	142	133

बिक्री कीमत	भारतीय रु./मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचकांक	100	97	112	133	129

102. इस संबंध में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते है:-

क. पीओआई अवधि में थाइलैंड से आयात मात्रा में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में पीओआई पश्चात अवधि में 13 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है और पीओआई की तुलना में पीओआई पश्चात (क) अवधि में 49 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है।

ख. पीओआई पश्चात (क) अवधि में कुल मांग में वृद्धि हुई है।

ग. पीओआई पश्चात (क) अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है लेकिन घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है। मालसूचियों में वृद्धि हुई है और निर्यात बिक्रियां भी बढ़ी हैं।

घ. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पीओआई पश्चात (क) अवधि में बिक्रियों की लागत से अधिक है।

VI. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

103. संबद्ध देश से निर्यातों की पहुंच मूल्य के साथ तुलना किए जाने पर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का क्षति रहित कीमतों ने पीओआई के दौरान सकारात्मक क्षति मार्जिन दर्शाया है।

संबद्ध देश	**उत्पादक**	**निर्यातक**	**एनआईपी**	**पहुंच मूल्य**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन %**
			यूएस$/मी.टन	यूएस$/मी.टन	यूएस$/मी.टन	%	रेंज
थाईलैंड	टीएएफ	टीएएफ	***	***	***	***	0-10
थाईलैंड	अन्य सभी	अन्य सभी	***	2,292.45	***	***	0-10

झ.4 पाटन एवं क्षति की संभावना के संबंध में निष्कर्ष

104. रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयातों में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई और आगे जांच की अवधि के दौरान इसमें काफी हद तक वृद्धि हुई है। रिकॉर्ड पर सूचना यह भी दर्शाती है कि संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और उस पर दबाव बन रहा है । इस प्रकार से ये मापदंड दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देश में निर्यातकों द्वारा भारत को पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात जारी रखने की संभावना है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को फिर से क्षति होगी ।

ञ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

105. प्रकटन पश्चात अनुरोध इन हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए हैं । प्राधिकारी ने पुनरावृतियों जिसकी उपयुक्त रूप से जांच और समुचित रूप से समाधान इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पहले ही किया गया है, सहित इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है । प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है ।

ञ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

106. घरेलू उद्योग द्वारा किए गया अनुरोध नीचे दिया गया है :

क. निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे उस सीमा के बारे में विचार करें जिस सीमा तक लागू मौजूदा पाटनरोधी शुल्क इस घरेलू संबद्ध आयातों से संरक्षण प्रदान कर रहा है । निर्णायक समीक्षा जांच में नियम 11 और अनुबंध-।। को कठोरता से लागू करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि (i) धारा 9क (5) में निर्णायक समीक्षा के लिए क्षति को सिद्ध करना अपेक्षित नहीं है और (ii) नियम 23 (3) में प्राधिकारी से केवल यह अपेक्षित है कि वे नियम 11 को आवश्यक परिवर्तनों सहित लागत किए जाने के बाद पाटन और क्षति के फिर से होने की संभावना का निर्धारण करें ।

ख. आयातों, उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्से में संभावित वृद्धि/कमी का भी विश्लेषण किया जा सकता है ।

ग. पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने के बावजूद, संबद्ध आयात बहुत अधिक रहे हैं । अन्य पाटन करने वाले देशों से आयात में क्षति की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है । यह घरेलू उद्योग की नाजुक स्थिति को दर्शाता है । यह लागू पाटनरोधी शुल्क था, जिसने यह सुनिश्चित किया कि पाटित आयातों के कारण मात्रा में वृद्धि नहीं हुई । यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है तब पाटित आयातों में वृद्धि होगी ।

घ. यद्यपि घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री में पूर्व के वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, फिर भी उसमें आधार वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत तक गिरावट आई । इसके अलावा, पूर्व के वर्ष से तुलना किए जाने पर भी जबकि मांग में 11 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल 5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और क्षमता का उपयोग विगत में प्राप्त किए गए स्तरों की तुलना में अभी भी 9 प्रतिशत तक कम था । घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण आनुपातिक रूप से बिक्री में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था और इसका परिणाम यह हुआ कि क्षमता का कम उपयोग हुआ ।

ङ. घरेलू उद्योग और संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि पाटन करने वाले अन्य देशों से जांच के अधीन पाटित आयातों का हिस्से में वृद्धि हुई है ।

च. संबद्ध आयातों की मात्रा में जांच की अवधि की बाद की अवधि में वृद्धि हुई और यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया गया होता, तब इसमें और अधिक वृद्धि हुई होती ।

छ. यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तब कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री के वर्तमान प्रवृति के जारी रहने की संभावना है ।

ज. यह तथ्य कि टीएएफ की मालसूची में बिक्री में गिरावट के बावजूद हुई गिरावट यह दर्शाती है कि टीएएफ में उत्पादन में कटौती की है । यह दर्शाता है कि टीएएफ पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने पर उत्पादन में वृद्धि कर सकता है । घरेलू उद्योग ने कभी भी यह तर्क नहीं दिया कि टीएएफ के पास अत्यधिक क्षमताएं हैं । तर्क यह था कि टीएएफ पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर भारत की ओर इस उत्पादन को भेज सकता है ।

झ. टीएएफ ने वर्तमान क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन की हानि उठायी है । ऐसी स्थिति होने पर तथ्यात्मक रूप से यह सही नहीं है कि टीएएफ के पास उपयोग न की गई क्षमताएं नहीं हैं ।

ञ. क्षमता के उपयोग और इसकी प्रवृति जिसे टीएएफ द्वारा प्रकट किया गया है, के आधार पर की गई गणना से, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने की स्थिति में, टीएएफ भारत को 15,400 मी.ट. जो थाइलैंड से आयातों के वर्तमान स्तर से अधिक है, तक भारत को आयात में वृद्धि करने में सक्षम नहीं होगा । यह भारत की मांग का 16 प्रतिशत के समतुल्य है । यद्यपि, तीसरे देशों द्वारा किए गए निर्यात

को विपथित नहीं भी किया जाता है तब आयातों में संभावित वृद्धि भारत में इस मांग के 16 प्रतिशत के समतुल्य है और इस कारण से उसे मामूली नहीं माना जा सकता है ।

ट. स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमता को उत्पादन द्वारा प्राप्त किए गए उच्चतम क्षमता के उपयोग और क्षमताओं के संदर्भ में देखा जाना अपेक्षित है जिसके बारे में विभिन्न अन्य देशों में इस उत्पादक द्वारा प्रतिबद्धता दर्शायी गई है । पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में थाइलैंड तीसरे देशों को किए जाने वाले निर्यातों को भारत की ओर विपथित करेगा । घरेलू उद्योग के अनुमान के अनुसार टीएएफ के पास प्रयुक्त न की गई क्षमताओं के 15400 मी.ट. के अलावा, तीसरे देशों को किए जाने वाले निर्यात को पर्याप्त मात्रा में भारत की ओर विपथित करने की संभावना है ।

ठ. घरेलू उद्योग अत्यधिक पाटन मार्जिन तथा इसके संबंध में प्राधिकारी के जांच परिणाम से सहमत है कि किस प्रकार से पूर्व की सभी जांचों में आयातों की बढ़ी हुई मात्रा पर कीमत में कटौती हो सकती है ।

ड. जांच की अवधि की बाद की अवधि में, टीएएफ ने अत्यधिक क्षमता के उपयोग के बावजूद भारत को निर्यात में वृद्धि की है । मांग में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग आनुपातिक रूप से घरेलू बिक्री में वृद्धि करने के लिए सक्षम नहीं था । आयात की कीमतों के कारण जांच की अवधि की बाद की अवधि में भी घरेलू कीमतों पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ना जारी है ।

ढ. सकारात्मक और अत्यधिक क्षति मार्जिन पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में क्षति की संभावना को दर्शाता है ।

ण. कीमत में वर्तमान कटौती के साथ, यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, तब घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि होगी तथा लगाई गई पूंजी पर इसे नकारात्मक आय प्राप्त होगी ।

त. सामान्य कार्य पद्धति के अनुसार, यदि संबद्ध देश से आयातों के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं होती है, तब प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे क्षति के मार्जिन की मात्रा का निर्धारण करें अथवा शुल्कों को फिर से तय करें । ऐसे मामलों में क्षति और पाटन के फिर से होने की संभावना मात्र का विश्लेषण किया जाता ह और उसी पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया जाता है ।

थ. प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि पूरे उसी रूप में और यू एस डॉलर के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखें क्योंकि भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है ।

ध.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

क. वर्धमान एक्रेलिक्स लिमिटेड के एक संबंधित पक्षकार ने जांच की अवधि के दौरान यूरोपीय यूनियन से संबद्ध वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा का आयात उस कीमत पर किया है जो थाइलैंड से पहुंच कीमत से बहुत कम है । इस प्रकार के आयातों के प्रभाव की जांच वर्तमान मामले में नहीं की गई है ।

ख. थाइलैंड पर पाटनरोधी शुल्क 23 वर्षों से अधिक से लागू रहा है । घरेलू उद्योग प्रत्यक्ष तौर पर अथवा अपने संबंधित पक्षकारों के माध्यम से शुल्क के भुगतान संबंधी अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत स्वयं संबद्ध वस्तुओं का आयात करता रहा है। प्रयोक्ता भी भारत में मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण आयात करने के लिए बाध्य रहे हैं । संबद्ध वस्तुओं पर आगे कोई शुल्क लगाए जाने से अधिकांश संख्या में प्रयोक्ताओं विशेष रूप से एमएसएमई के प्रयोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा जिसके फलस्वरूप काफी अधिक संख्या में रोजगार की हानि होगी और यह एक अपूर्णीय क्षति होगी । प्रयोक्ताओं की ऐसी चिंताओं का समाधान उचित रूप से प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रकटन विवरण में नहीं किया गया है ।

ग. वर्तमान मामले के तथ्य यह दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के अत्यधिक आयात यूरोपीय यूनियन, बेलारूस, पेरू और यूक्रेन से होता रहा है जिसके विरूद्ध पाटनरोधी जांच जारी है और यह स्पष्ट है कि ऐसे स्रोतों से पहुंच कीमत थाइलैंड से आयातों की पहुंच् कीमत की तुलना में कम रही है । उस

मामले में जांच की अवधि के दौरान कीमत में कोई कटौती, कीमत ह्रास और कम कीमत पर बिक्री को थाइलैंड से आयातों का कारण नहीं माना जा सकता है। वास्तव में टीएएफ की कीमत भारत में बहुत अधिक है। प्राधिकारी अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार कर सकते हैं कि थाइलैंड से कीमतों में कटोती, कीमत ह्रास और कम कीमत पर बिक्री की संभावना है।

घ. घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान अत्यधिक लाभ और लगाई गई पूंजी पर अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा था जो उन्हें हो रही किसी क्षति की संभावना से इंकार नहीं करता है। कम कीमत पर होने वाले अन्य आयातों के कारण किसी क्षति को थाइलैंड पर पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने के लिए आधार नहीं माना जाना चाहिए।

ड. यह भी स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग के समग्र कार्य निष्पादन पर मांग में गिरावट और बिक्री में गिरावट के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और बाजार हिस्सा प्रत्यक्ष तौर पर इस उत्पाद की कैप्टिव उपयोग में अत्यधिक वृद्धि से संबंधित है। यह कारणात्मक संबंध के न होने को दर्शाता है।

च. थाइलैंड में कोई अत्यधिक क्षमता, क्षमताओं का कम उपयोग अथवा मालसूची में कोई वृद्धि नहीं है। चूंकि यह दर्शाया गया है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत में कटौती, ह्रास और कम कीमत पर बिक्री थाइलैंड से हुए आयातों के पहुंच मूल्य से प्रभावित नहीं हुई थी, अत: प्राधिकारी अपनी इस टिप्पणी को पलट सकते हैं कि जांच की अवधि के दौरान ये मानदंड संभावना की ओर इंगित करते हैं।

छ. जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि स्पष्ट रूप से मांग में कुछ अचानक वृद्धि और कैप्टिव खपत में भी वृद्धि को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की असफलता के कारण ही हुआ है।

ज. प्रकटन विवरण यह दर्शाता है कि किसी भी सांकेतिक मानदंडों, जिसकी सूची इस नियमावली के अनुबंध-2 के उपबंध-(VII) में दिया गया है, वर्तमान जांच में पूरा नहीं किया गया है। यह दर्शाता है कि थाइलैंड से आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है जिसकी परिकल्पना पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1ख) में किया गया है।

झ. यह नियमावली इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि प्राधिकारी पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्क की मात्रा में संशोधन कर सकते हैं और वर्तमान मामला इस तथ्य पर विचार करते हुए इस प्रकार के पुनर्निर्धारण को आवश्यक बनाता है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में बहुत अधिक हद तक कमी आई है और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं उठानी पड़ रही है।

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

107. पक्षकारों द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के संबंध में उठाए गए मुद्दों के बारे में, प्राधिकारी ने संगत मापदंडों की विधिवत जांच की है और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में अपने जांच परिणामों को रिकॉर्ड किया है।

108. वर्धमान एक्रेलिक्स लिमिटेड और/अथवा इसके संबंधित पक्षकार द्वारा यूरोपीय यूनियन से आयात की जा रही संबद्ध वसतुओं के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मुद्दे का संबद्ध जांच पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है।

ट. <u>भारतीय उद्योग का हित</u>

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यत: पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में एक मुक्त और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुन: स्थापित किया जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू किया

जाना किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।

110. यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करने वाले विनिर्मित उत्पाद की कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पर पाटनरोधी उपायों से कमी नहीं आएगी, विशेषकर यदि पाटन रोधी शुल्क को लागू किया जाना घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए अनिवार्य राशि तक प्रतिबंधित है। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों का अधिरोपण पाटन पद्धतियों द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित लाभों को दूर करेगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को नियंत्रित करेगा और संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं को विस्तृत चयन की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता करेगा।

ठ. <u>निष्कर्ष</u>

111. किए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के संबंध में, जैसा कि उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकार्ड किए गए हैं और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:-

क. शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में इन आयातों के होने की संभावना है ।

ख. घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण नाजुक बना रहता है ।

ग. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना लागू पाटनरोधी शुल्क के इस चरण में समाप्त होने दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन के जारी रहने की संभावना और क्षति क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना को दर्शाता है ।

ड. <u>सिफारिशें</u>

112. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच की शुरूआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए समुचित अवसर दिया गया था ।

113. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है, तब पाटन और क्षति के जारी रहने/ उसके फिर से होने की संभावना है । प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर शुल्कों को जारी रखा जाना अपेक्षित है ।

114. इस नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के संबंध में प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, में जो भी कम हो, के बराकर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है ।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	यूनिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5501.3000, 5503.3000, 5506.3000*.	एक्रेलिक फाइबर **	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	थाई एक्रेलिक फाइबर कं.लि.	15.87	यूएस $	मी.ट.
2	-वही-	एक्रेलिक फाइबर **	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	उपर्युक्त क्र.सं. 1 पर दिए गए उत्पादक को छोड़कर कोई भी अन्य उत्पादक	110.13	यूएस $	मी.ट.
3	-वही-	एक्रेलिक फाइबर **	थाईलैंड को छोड़कर कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी	110.13	यूएस $	मी.ट.

टिप्पणी –सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण पीयूसी के विवरण के अनुसार किया जाएगा। ऊपर उल्लिखित पीयूसी उपर्युक्त एडीडी के अध्यधीन होंगे चाहे वे किसी अन्य एच एस कोड के तहत आयातित किए गए हों।

** टिप्पणी – 100% एक्रीलोनी ट्रायल वाले होमोपॉलीमर एक्रेलिक फाइबर के अतिरिक्त एक्रेलिक फाइबर।

ढ. आगे की प्रक्रिया

115. केंद्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील, जो इस सिफारिश से उत्पन्न हो सकती है, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बी.बी.स्वैन, विशेष सचिव एवं विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

New Delhi, the 31st August, 2020

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

Case No. (SSR) 08/2019

Subject: Sunset Review of anti-dumping investigation against imports of Acrylic Fibre originating in or exported from Thailand.

F. No. 7/18/2019-DGTR.— A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules or Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated

the original anti-dumping investigation in respect of the imports of Acrylic Fibre (hereinafter referred to as the subject goods or PUC or Product Under Consideration) originating in or exported from USA, Thailand and Korea RP on 13.9.1996 and definitive anti-dumping duty was recommended vide Final Findings Notification No. 47/ADD/1W dated 14.10.1997. The Central Government had imposed the anti-dumping duty vide Custom Notification No. 81/97 dated 24.10.1997.

2. The sunset review of the anti-dumping duty so imposed against USA, Thailand and Korea RP was initiated by the Authority vide Notification No. 26/1/2001-DGAD dated 07.08.2001 and the Final Findings were issued vide Notification No. 26/1/2001-DGAD dated 06.08.2002. Definitive antidumping duty was levied by the Central Government vide Customs Notification No. 106/2002-Customs dated 09.10.2002.

3. The second sunset review of the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from Thailand and Korea RP was initiated by the Authority vide Notification No. 10/7/2006-DGAD dated 08.10.2007 and the Final Findings were issued vide Notification No.10/7/2006-DGAD dated 03.10.2008, recommending continuation of the antidumping duty on the subject imports. Definitive antidumping duty was imposed by the Central Government on the subject goods from Thailand and Korea RP vide Customs Notification No. 123/2008-Customs dated 20.11.2008.

4. Third sunset review of the duty imposed on the imports of the subject goods from Korea RP and Thailand was initiated by the Authority vide Notification No. 15/16/2013-DGAD dated 24.09.2013 and the Final Findings were issued vide Notification No. 15/16/2013- DGAD dated 23.03.2015, recommending continuation of the duty in force. Definitive duty was imposed by the Central Government on the subject goods from Thailand and Korea RP vide Notification No. 27/2015- Customs (ADD) dated 1st June 2015.

5. Whereas, in terms of the Act and the Rules, the antidumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.

6. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury

7. And, whereas, in terms of the above provisions, M/s. Indian Acrylics Limited, Ms. Pasupati Acrylon Limited, and M/s. Vardhman Acrylics Limited (hereinafter also referred to as "Applicants" or "Domestic Industry") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as "Authority") in accordance with the Act and the Rules, for initiation of Sunset Review Investigation against imports of Acrylic Fibre (hereinafter referred to as "subject goods" or "PUC" or "Product Under Consideration") originating in or exported from Thailand (hereinafter referred to as "subject country"), and requested for extension of the duty. The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of antidumping duty on the import of the subject goods from the subject country and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject country. The applicants have further argued that expiry of the measure against the subject country would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

8. Whereas, the Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicants, issued a public notice vide Notification No. 7/18/2019 -DGTR dated 30th September, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Rule 6(1) of the Rules to examine as to whether expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

9. After the initiation of the subject investigation, the Central Government issued its Notification No 10/2020-Customs (ADD) dated 29.5.2020 extending the duty in force on the import of the subject originating in or exported from the subject country up to 30.11.2020.

10. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

B. PROCEDURE

11. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to this subject investigation:

i. The Authority notified the embassies of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the AD Rules.

ii. The Authority issued a Notification dated 30th September, 2019, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.

iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.

iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, known importers and to the embassies of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.

v. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters in the subject country, whose details were made available by the applicant, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a. Thai Acrylic Fibre Co. Ltd, Thailand

vi. The Embassies of the subject country in India were also requested to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

vii. The following producers/exporters from the subject country filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:

a. Thai Acrylic Fibre Co. Ltd, Thailand

viii. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations, whose names and addresses were made available to the authority, of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):

a. Rajasthan Spinning & Weaving Mills Ltd., New Delhi

b. Vardhaman Spinning & General Mills, Ludhiana

c. Deepak Spinners Ltd., Chandigarh

d. Malwa Cotton Spinning Mills Ltd., Ludhiana

e. Shiwaliya Spg. & Wvg. Mills (P) Ltd., Ludhiana

f. Deepak Spinners Ltd. Solan Baddi

g. Shiva Fabricator (P) Ltd., Ludhiana

h. Supreme Tex Mart Ltd., Ludhiana

i. Yogendra Worsted Ltd., Ludhiana

j. Shree Rajasthan Syntex Ltd, Dungarpur

k. Banswara Syntex Ltd., Banswara

l. Ganga Acrowools Ltd., Ludhiana

m. Shital Fibres Ltd., Jalandhar

n. Arisudana Industries Ltd., Ludhiana

o. Sportking India Ltd., Ludhiana

p. Texas Woollen Mills (P) Ltd., Ludhiana

q. Jindal Cotex Ltd., Ludhiana

r. Garg Acrylics Ltd., Ludhiana

s. Indian Spinners' Association, Mumbai

t. Ludhiana Spinners Association, Ludhiana

ix. The following importers or consumers of the product have filed the importer's questionnaire response in the prescribed format:

a. Ganga Acrowools Ltd.

b. Ganga Spinning and Weaving Mills Ltd

c. Garg Acrylics Ltd.

d. Lakshmi Spinner

e. Longowalia yarns limited

f. Luxmi Spinning mills pvt.ltd

g. Oswal Woolen Mills Ltd

h. Paramount Syntex Private Limited

i. Ramji Acro Limited

j. Sharman Woolen Mills Ltd

k. Shiv Woolen Mills

l. Shiwalya Spinning and weaving mills(p) ltd.

m. Shree Ganesh Acro Yarns Pvt. Ltd

n. Sportking India Limited

o. Udey Udyog

p. Venus Texspin Ltd

x. Additionally, submissions/ comments were filed by following parties during the course of the investigation:

a. The Royal Thai Government

b. Ludhiana Spinners Association & its member's

c. Northern India Textile Mills' Association & its member's

xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file, kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7). Submissions made by all interested parties have been taken into account in the present final findings.

xii. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation has been considered from April 2018 – March 2019 (12 Months). The injury investigation period has been considered as the period 2015-16, 2016-17, 2017-18, and the POI. The Authority has also considered April 2019-September 2019 as the Post-POI for the purposes of a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury analysis.

xiii. Additional/supplementary information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry and exporters/producers was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.

xiv. The Non-Injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

xv. Information provided by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) on transaction-wise basis for the past three years, and the period of investigation has been adopted for determination of volume and value of imports of product concerned in India.

xvi. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 13th May 2020. Subsequently, another oral hearing was held on 16th July 2020 on account of change of the Designated Authority. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.

xvii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final finding.

xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the

confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded this final findings on the basis of the facts available.

xx. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 19th August, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.

xxi. *** in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xxii. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigations is 1 US$= Rs. 70.82.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

12. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Acrylic Fibre".

13. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile, which is a major raw material for production of acrylic fibre. It is broadly described in terms of colour, length and denier of the fibre. It is used for the purpose of manufacturing apparels, household items and has great industrial use etc.

14. It is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act, 1975. Customs classification of Acrylic Fibre is 5501.3000, 5503.3000 and 5506.3000. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

C.1. Submissions made by the Domestic industry

15. The domestic industry has submitted as follows with regard to product under consideration and like article:

a. Present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the original as well as previously conducted investigation. Further, no significant developments have taken place over the period. Therefore, domestic industry refers to and relies upon the previous investigation with regard to product under consideration and like article.

C.2. Submissions made by other interested parties

16. No submission has been made by any interested party in this regard.

C.3. Examination by the Authority

17. The product under consideration in the original investigations was defined as under in the final findings:

> *"The product involved in the original investigation and subsequent review investigations is Acrylic Fibre. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile, which is a major raw material for production of acrylic fibre. It is broadly described in terms of colour, length and denier of the fibre. It is used for the purpose of manufacturing apparels, household items and it has a great industrial use etc. It is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act, 1975. Customs classification of Acrylic Fibre so far as it relates to the product is 5501.3000, 5503.3000 and 5506.3000. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation."*

18. It is noted that in the anti-dumping investigation concerning imports of Acrylic Fibre, originating in or exported from China PR, Belarus, Ukraine, EU and Peru, the Authority had excluded Homopolymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile from the scope of the PUC, since the domestic industry did not manufacture the same. It has been noted that the domestic industry continues to not produce Homopolymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile, and thus the same should be excluded from the scope of the present sunset review investigation as well.

19. Therefore, the Authority adopts a narrower scope of PUC by excluding Homopolymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile from the scope of the PUC. With regard to the PUC, it is noted as under:

The product involved in this sunset review investigation is Acrylic Fibre, excluding Homopolymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile, which is a major raw material for production of acrylic fibre. It is broadly described in terms of colour, length and denier of the fibre. It is used for the purpose of manufacturing apparels, household items and has great industrial use etc. It is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act, 1975. The Customs classification of Acrylic Fibre so far as it relates to the product is 5501.3000, 5503.3000 and 5506.3000. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

20. Rule 2(b) of the AD rules defines domestic industry as under:

> *"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term, 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers."*

D.1. Submissions made by the Domestic industry

21. Submissions made by the domestic industry in this regard are as follows:

a. The application for initiation of sunset review was filed by M/s Indian Acrylics Limited, M/s Vardhman Acrylics Limited and M/s Pasupati Acrylon Ltd. The production of petitioner companies constitutes 100% of Indian production of the subject goods and there is no other producer of the subject goods in India.

b. The Applicants are not related, either directly or indirectly, to any exporter in the subject country or any importer of the dumped article within the meaning of Rule 2(b).

c. One of the Applicants, Indian Acrylics Limited, has imported small volume of subject goods (206 MT) from Thailand under advance licenses against exports during injury period.

d. The imports in POI has been made only under advance license.

e. The volume of imports by Indian Acrylics Limited is not significant so as to disentitle it from being treated as eligible domestic industry.

f. In the previous sunset review of Acrylic Fibre (March 2015), it was noted that the Authority has been consistently holding the view that if the goods have been procured under the duty exemption schemes, it does not disentitle the company from being considered as part of domestic industry.

g. In the last 22 findings of the Authority in the matter of Acetone and Phenol, Authority has considered SI Group as eligible domestic industry, when they have imported the product under consideration under advance license.

h. The Authority had the same approach in the following investigations:

   i. Viscose Staple Fibre from China and Indonesia (May 2010)

   ii. Carbon Black (SSR) from China, Russia and Thailand (October 2015)

   iii. 2 Methyl (5) Nitro Imidazole from China PR (June 2007)

   iv. Flax Yarn from China PR (September 2018)

i. The Authority gave detailed reasoning as to how imports under advance license cannot disqualify a domestic producer from being treated as an eligible domestic industry in the matter of Phenol from Taiwan and USA (August 2014).

j. In the final findings of Viscose Staple Fibre (May 2010), the Authority stated that it would be inappropriate to exclude such domestic producers importing under advance license from the scope of the domestic industry.

D.2. Submissions made by other interested parties

22. The submissions made by the interested parties in this regard are as follows:

a. Indian producers of Acrylic Fibre or their affiliates have been importing Acrylic Fibre from Thailand and also other countries.

b. An import of about 206 MT has been made by the Indian Acrylics Ltd. from Thailand under the Advance License Scheme. Such import constitutes about 2.34% of the total imports into India from Thailand in 2018-19.

c. A related party of Vardhman Acrylics Ltd. has imported substantial volume of the subject goods (about ***MT) from EU during the POI. In an investigation concerning imports of Acrylic Fibre from EU, Peru, Belarus, China and Ukraine, Vardhman Acrylics Ltd. was not considered a part of the domestic industry for the same reason.

d. The Indian producers are using duties as a means to earn super-normal profits, while benefitting from the imports themselves.

D.3. Examination by the Authority

23. The petition in the present case has been filed by the three domestic producers, M/s Indian Acrylics Limited, M/s Vardhman Acrylics Limited and M/s Pasupati Acrylon Ltd. The petitioners command 100% share in the Indian production in the POI. Further, the present investigation is a sunset review investigation.

24. The Authority on the basis of information on record found that Indian Acrylics has imported the subject goods, and the same are under the duty exemption scheme and these import volumes constituted a very insignificant proportion as compared to their own production or the Indian production or the imports of the subject goods into India or the demand in the country. It is further noted that the Authority has been consistently holding that if the goods have been procured under duty exemption scheme, the same does not disentitle the domestic industry from being considered as part of the domestic industry. In any case, the volume of imports made by the company is quite insignificant considering the volume of imports into India as well as Indian demand. The Authority, therefore, holds that Indian Acrylics constitutes to be an eligible domestic industry within the meaning of Rules 2(b) of the AD Rules.

25. Considering the information on record, the Authority holds that the production of the petitioner companies, i.e. M/s Indian Acrylics Limited, M/s Vardhman Acrylics Limited and M/s Pasupati Acrylon Ltd constitute major proportion of the Indian production and thus constitute domestic industry within the meaning of the Anti-Dumping Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by the Domestic industry

26. Submissions made by the domestic industry in this regard are as follows:

a. The responding importers/users have claimed excessive confidentiality. The responses do not allow a meaningful understanding of the information claimed confidential.

b. The responding importers/users have disregarded the guidelines issued by the Authority, vide Trade Notice no. 10/2018 dated 7th September 2018.

c. Any interested party claiming information as confidential is required to provide a non-confidential summary. However, most of the responding importers/users have failed to provide the same.

d. The information kept confidential by the interested parties form an essential party of the questionnaire response. Due to lack of such vital information, the domestic industry is unable to offer any comment to protect their interests.

e. This also amounts to lack of opportunity to an interested party for defending its interests, breaching the principles of natural justice, and hampering the investigation process.

f. A questionnaire response is required to be rejected in the following situations:

i. When the importer has resorted to unwarranted/unjustified confidentiality.

ii. When the importer has claimed confidentiality on the information which the importer is obliged to disclose publicly.

iii. When the importer has claimed confidentiality on the information which the importer/user has otherwise disclosed publicly in exporting country.

iv. When it is established that the importer is unwilling to disclose information publicly even when it has been pointed out that the importer has resorted to unwarranted confidentiality.

v. The deficiencies in the responses filed prejudice the interests of the domestic industry.

g. The Authority is requested to disregard these responses and declare them as non-cooperative.

h. In the absence of even indexed information, the domestic industry is handicapped in defending its interests.

i. The Hon'ble Supreme Court had held in *Sterlite Industries (India) Ltd.* v. *Designated Authority* that under Rule 7, the Authority must be satisfied as to the confidentiality of that material. Even if the material is confidential, a non-confidential summary must be provided. Confidentiality under Rule 7 is not something which can be automatically assumed.

E.2. Submissions made by other interested parties

27. Submissions made by other interested parties in this regard are as follows:

a. The Applicants have not provided the volume information pertaining to exports, captive consumption and inventory, even though the production and sales volume is provided. This is done to conceal captive consumption.

b. ROCE range has not been provided and the indexation is not a reasonable summary to enable the opposing parties to offer their comments.

c. Adjustments are claimed on export price but no evidence of the same is provided.

d. The costing formats are made confidential, which do not permit any understanding of efficient use of raw materials/utility/etc.

E.3. Examination by the Authority

28. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Rules provides as follows:

> *"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
>
> *(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
>
> *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

29. The Authority made non-confidential version of the information provided by various interested parties available to all interested parties for inspection through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties.

30. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority has also duly noted the submissions made by interested parties citing the decision of the Hon'ble Supreme Court of India in the Sterlite Industries case and emphasizing the point that confidentiality under Rule cannot be automatically assumed. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions made by the Domestic industry

31. Submissions made by the domestic industry in this regard are as follows:

a. The legal requirements are different for an original investigation and sunset review investigation.

b. While imposing duty, the Authority is required to determine whether the product under consideration has been exported below normal value and whether the dumping has caused material injury.

c. At the stage of review investigation, the Authority is required to determine whether cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation of recurrence of dumping and injury.

d. There is no excessive protection to the domestic industry. In fact, duty is not a protection, it is a trade remedy to address unfair pricing.

e. The quantum of duty is not excessive, it is as per law. Duty is only imposed/extended when the requirements are met.

f. The exporter is habitually exporting the PUC at dumped prices. The domestic industry cannot be barred to approach the Authority for the prevention of unfair trade practices.

g. The performance of the downstream industry has improved over the injury period.

F.2. Submissions made by other interested parties

32. Submissions made by other interested parties in this regard are as follows:

a. The current sunset review investigation concerns duties in imports of Acrylic Fibre from Thailand originally imposed in 1997 and thereafter extended vide SSR investigations. The duties have been in force for over two decades.

b. The original imposition covered USA and South Korea, but the duties on imports from those country ceased to exist.

c. If the duties were imposed to remove the injury caused by dumping from Thailand, the injury data shows the domestic industry have not shown any sign of injury on account of imports from Thailand in the injury period/POI considered by the Authority.

d. India has conducted about 21 AD investigations (both fresh and reviews) concerning imports of Acrylic Fibre from various sources. The duties have been in force for the past two decades and such duties have provided disproportionate protection to the domestic industry.

e. AD rules have no bar on number of reviews or extensions. However, circumstances have undergone a tremendous change from original imposition. The domestic industry has reached high levels in profitability and performance.

f. The imports coming in from Thailand are essential imports to meet the Indian demand and are not driven by any particular price behaviour of the exporter.

g. Anti-dumping duty on almost all imports of acrylic fibre, has stagnated the user industry and has made users incapable to export. India is losing on valuable global market and employment opportunities due to anti-dumping duty as other country are taking advantage of the high yarn prices in India.

F.3. Examination by the Authority

33. With regard to the issue of continued duty raised by the interested parties, the Authority notes that there is no bar on the number of times a sunset review can be conducted, and antidumping duty extended. If the legal requirement to extend antidumping duty is met, only then the duty is extended to protect the interests of the domestic industry. The duties on imports from USA and Korea RP ceased to exist and were not extended since the imports stopped being injurious to the domestic industry.

34. With regard to the issue of the imports being necessary imports since there is a demand-supply gap in the country, the Authority notes that antidumping duty does not bar the imports from coming into India. It merely ensures that the imports come into India at fair price. Having said that, the Authority also notes that the domestic industry has increased its capacity in the POI to meet the demand of the Indian market.

35. Lastly, with regard to the issue of the injury caused to the downstream user industry owing to the imposition of duty, the Authority reiterates that antidumping duty only ensures that imports come in at a fair price.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions made by the Domestic industry

36. Submissions made by the domestic industry in this regard are as follows:

a. Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. (TAF) has claimed that it captively produces utility. In case a producer has captively produced raw material or utilities, the transfer price must conform to the market price.

b. The foreign producer is required to provide the following information in case utility is captively produced:

i. The basis of pricing;

ii. How the exporter considers that the pricing is considered reflective and representative of a fair market price;

iii. Provide purchase prices from independent parties for an identical or comparable input product.

c. TAF has intentionally avoided the information sought by the Authority and has not replied to the question regarding valuation of utility. The response is insufficient.

d. Import of *** MT of 'Acrylic Fibre Waste' is reported from Thailand. Even if it is considered that Thai Acrylic Fibre production is to the extent of 1 lac MT, it implies waste generation of only 1%.

e. The technology employed by Thai Acrylic Fibre is the same technology employed by Vardhman Acrylics Ltd. The waste generation in VAL is in the region of 0%. The same is true for the other Applicants as well.

f. The price at which acrylic waste is claimed to have been imported into India is 2-3 times the price at which acrylic fibre waste has been sold by Indian producers.

g. TAF has claimed to have charged a price for waste fibre at a rate which is 80% of the 'good fibre' price.

h. Good fibre has been reported in the name of acrylic fibre waste and anti-dumping duty has been evaded. This is not a conjecture, given the recoveries made by the DRI from the importers, which run into INR 25 crores.

i. It is requested that the Authority determine the CIF import price for TAF by adding these imports of acrylic fibre declared as acrylic waste.

j. The exporter has demanded comparison of normal value and export price on quarterly basis on the grounds that there is significant difference in the price of the product on quarterly basis. Perusal of the import data shall show that the difference in price over time is less than the difference in price on transaction to transaction basis.

k. The purpose of quarterly comparisons is to address the situation of significant difference in the price within the time period. However, the difference in price is must higher within the same period.

l. Without prejudice, applicant submits that the authority may kindly determine dumping margin in individual import transactions and segregate the same into dumped & injurious and un-dumped and non-injurious. It would be seen that significant proportion of the imports are dumped and injurious. This itself establishes likelihood of dumping and injury to the domestic industry.

m. The domestic industry has obtained evidence of the delivered basis prices prevailing in South-East Asia Region as per IHS Chemical Reports. The prices have been adjusted for inland freight, custom duty and port expenses for calculation of normal value.

n. Domestic industry has obtained the import data from DGCI&S and relied upon the same for export price. The export price has been adjusted for Ocean Freight, Marine Insurance, Port Expenses, handling charges, bank charges and commissions.

o. Exporters have made misleading statements in their questionnaire response. TAF buys raw material called Sodium Meta Bisulfite from its group company namely Aditya Birla Chemicals in Thailand. Aditya Birla Chemicals is situated in the same complex as TAF.

p. The conduct of the exporter and importer is dubious. The DRI has made large scale recoveries. It is pointed out that significant imports have been mis-declared.

G.2. <u>Submissions made by other interested parties</u>

37. Submissions made by the foreign producers/exporters/other interested parties with regard to normal value are as under:

a. The Authority must conduct quarterly examination of dumping and injury margin in the present case as there have been significant fluctuation in the cost and price of the subject goods during the POI.

b. Such fluctuation warrants quarterly analysis to ensure fair examination.

c. The supply of Acrylonitrile was tight due to unplanned shutdowns in the first half of the year with very high prices.

d. With regard to domestic industry's request of segregating non-injurious and injurious imports/dumped and un-dumped imports, it is submitted that this practice amounts to zeroing and is not allowed under the WTO regime.

e. TAF is a single entity where power production is integrated and is only used to produce Acrylic Fibre. There is no internal transfer pricing of utility and actual cost details have been provided in the response.

f. TAF has not exported any waste as subject goods. In fact, import of waste which was *** MT in 2012-13 and ***MT in 2016-17 has sharply declined to *** MT in 2018-19 (POI) and to *** MT in the post POI period (April 2019-January 2020).

g. There is no bar under the rules to determine the dumping margin on a quarterly basis.

h. The Manual for Operating Practices published by the DGTR, states that in some cases monthly or quarterly Export Prices/Normal Value must also need to be worked out especially in case of products with highly volatile market prices.

i. A quarterly examination has been done in the following investigations:

i. Investigation concerning imports of Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500 series and 1700 series, originating in or exported from European Union, Korea RP and Thailand- Final Findings dated 12th July, 2017- Dumping and injury examination done on quarterly basis by DGTR/DGAD.

ii. Investigation concerning imports of Flat base Steel Wheels originating in/exported from China PR.- Final Findings dated 28th November 2007- Quarterly examination of import related parameters done by DGTR/DGAD.

iii. Investigation concerning imports of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) originating in or exported from the European Union dated 7th March 2003- Quarterly and month wise examination of import related parameters done by DGTR/DGAD.

iv. Preliminary Finding Concerning Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of "Phthalic Anhydride" into India from Korea RP under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 dated 11.5.2020- Quarterly examination of injury for the injury period as proposed by the Indian producers done by DGTR.

v. Dioctyl Terephthalate (DOTP) from Korea Investigation- No. 731-TA-1330 (Final)- August 2017- Used Quarterly data to examine injury by USITC (USA Authority).

vi. Hot-Rolled Steel Products from China, India, Indonesia, Taiwan, Thailand, and Ukraine- August 2019- Used Quarterly data to examine injury- USITC (USA Authority).

vii. Definitive duty on imports of certain hot-rolled flat products of iron, non-alloy or other alloy steel originating in the People's Republic of China dated 5th April 2017- European Commission conducted quarterly examination of dumping and injury parameters (EU Authority).

viii. TAF has demanded the comparison of normal value and export price on a quarterly basis in view of significant fluctuation in cost.

G.3. Examination by the Authority

38. Authority notes that only one producer/exporter namely Thai Acrylic Fibre Co. Ltd, from the subject country has filed exporter's questionnaire response.

Normal Value

39. Under Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975, as amended, the normal value in relation to an article means:

i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

ii. *When there are no sales of the like articles in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

a. *Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.3.1. Determination of Normal Value for Thai Acrylic Fibre Co. Ltd (TAF)

40. Normal value for Thai Acrylic Fibre Co. Ltd has been determined on the basis of information provided by the producer/exporter. TAF has sold the subject goods to affiliated parties and non-affiliated parties in the domestic market during the POI. It was noted by the Authority that TAF has sold *** MT of the subject goods with net invoice value of THB *** in the domestic market to non-affiliated customers and *** MT with net invoice value of THB *** to affiliated customers. The affiliated customers have consumed the subject goods for manufacturing their own products. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions (affiliated and non- affiliated sales) with reference to cost of production of subject goods. It was noted by the authority that profit making transactions are less than 80% and therefore authority has considered only profit making transactions in the domestic market for the determination of the normal value.

41. TAF claimed adjustments on account of inland freight, sales expenses and credit expenses from the domestic selling price. The authority has allowed the adjustments after verification. Accordingly, weighted average normal value at ex-factory level for TAF so determined is indicated in the dumping margin table below.

G.3.2. Determination of Normal Value for non-cooperating producers and exporters from Thailand

42. For the other producers/exporters from Thailand, normal value has been determined based on the facts available. The normal value so determined is indicated in the dumping margin table below.

Export Price

G.3.3. Determination of Export Price for Thai Acrylic Fibre Co. Ltd (TAF)

43. From the response filed by TAF, the Authority notes that TAF has exported *** MT of the subject goods to India directly to unrelated customers. TAF has exported the subject goods on CIF terms. TAF has claimed adjustments on account of ocean & inland freight, port handling expenses, insurance, sales expenses, credit expenses and incentive. The Authority has allowed all the deductions except incentive claim. Accordingly, the weighted average export price at ex-factory level so determined for TAF is indicated in the dumping margin table below.

G.3.4. Determination of Export Price for Non-cooperating producers and exporters from Thailand

44. For the other producers/exporters from Thailand, export price at ex-factory level has been determined based on the facts available. The export price so determined is indicated in the dumping margin table below.

Calculation of Dumping Margin

45. Comparing the aforesaid normal value and export price as determined, the dumping margin determined for the subject country during POI is as follows:

Dumping Margin Table

Subject Country	Producer	Exporter	Normal Value	Ex-factory Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
			US$/MT	US$/MT	US$/MT	%	Range
Thailand	TAF	TAF	***	***	***	***	10-20
Thailand	All Others	All Others	***	***	***	***	30-40

46. It is noted that the dumping margins are more than the de-minimis limits prescribed under the Rules in respect of exports made by cooperating producers/exporters and non-cooperating producers/ exporters from subject country.

H. INJURY AND CAUSAL LINK ANALYSIS

H.1. Submissions made by the Domestic Industry

47. Submissions made by the domestic industry in this regard are as follows:

a. The volume of dumped imports has declined till 2017-18 but has increased during the period of investigation.

b. The volume of dumped imports from subject country continued to be significant despite imposition of duty.

c. Imports from Belarus, Ukraine, EU and Peru are also dumped, and a separate investigation is ongoing with regard to the same.

d. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. The domestic industry is already suffering suppressing effects. The cost of production and selling prices increased over the injury period. The domestic industry was not able to increase its price in proportion to the increase in costs.

e. Domestic industry has increased their capacity during the period of investigation. Production and capacity utilization of the domestic industry declined over the injury period. Even though production and capacity utilization increased in the POI, the levels achieved in the POI were still lower than the levels achieved in the past.

f. Domestic sales of the domestic industry have shown the same trend as that of production.

g. Exports being made by the domestic industry are only a result of inability of the domestic industry to sell in the domestic market.

h. Captive consumption has increased as a result of efforts being made by the domestic industry in creating market for its product.

i. Profitability of the domestic industry has declined over the injury period with a significant decline during period of investigation.

j. PBIT has declined throughout the injury period.

k. Cash flow and return on capital employed has also declined over the period.

l. There was significant deterioration in the performance of the domestic industry in the current period as compared to the past. Under the circumstances, cessation of anti-dumping duty would add fuel to the fire.

m. There is no requirement of establishing causal link in a sunset review investigation.

n. Imports from subject country are undercutting the prices of the domestic industry. Considering that producers in the subject country have surplus capacities, the volume of dumped imports would surge significantly.

o. In case the duty is ceased, imports from the subject country will further increase, and the domestic industry would be forced to reduce the prices of the goods significantly. This will lead to an impact on profitability, cash flow and ROCE.

p. If domestic industry chooses to maintain its normal price levels, it is bound to lose its sales volume.

q. If sales volumes are lost, it would lead to bigger injury. Loss in sales volume would lead to increase in fixed costs and inventory, and a loss in production, capacity utilization, productivity and profits.

r. A comparison of the data of 2016-17 with the POI shows the following:

   i. The profits of the domestic industry have declined significantly

   ii. The cash profits have declined

   iii. The ROCE has declined.

s. 8% market-share of imports is sufficient to cause injury to domestic industry in the event of cessation. Imports from Thailand continue to be dumped into India despite duty.

t. India is not a monopolistic market where the domestic industry can dictate its prices. India is an extremely competitive market. The domestic industry cannot afford to sell its products at non-competitive prices. The allegation of high NSR is without substance.

u. The domestic industry offered its goods at sub-optimal prices to reduce inventory. This led to loss of profitability.

v. Public statements in Annual Report do not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury of the domestic industry.

w. The assumption of the interested parties that dumping should be the sole cause of injury to the domestic industry is incorrect.

x. The statements in the Annual Report are not with regard to deterioration in performance of the domestic industry over the injury period. The Authority's decision is not based on the POI alone.

y. The Authority is concerned about the company's domestic operations. The Annual Reports are concerned with overall operations.

z. Employment and wages are dependent on a number of other parameters and are not reflective of impact of dumping on the domestic industry.

H.2. Submissions made by other interested parties

48. Submissions made by the other interested parties in this regard are as follows:

a. The injury data of the domestic industry does not show any continuation of material injury on account of alleged dumped imports.

b. It is important to note that on 16th April 2018, the DGTR terminated an AD investigation concerning acrylic fibre from China, Belarus, Ukraine, EU and Peru, on account of no injury being caused to the domestic industry. The POI was 2016-17, whereas the POI for this investigation is 2018-19.

c. The performance of the domestic industry has only improved further between 2016-17 and 2018-19 concerning all key parameters.

d. The final finding mentioned about 50-60% ROCE in the year of 2016-17. In the current POI, the DI must have earned a ROCE in the rage of 40-50% as extrapolated from the indexed figures.

e. The domestic industry has increased their capacity by about 5000 MT during the POI, which is an indicator of good health for any industry. Infusion of fresh investment is clearly a sign of absence of material injury.

f. Acrylic Fibre is an input for a large number of spinners in India and still imports from Thailand were only 8% of Indian demand. 65% of the market share was still held by the domestic industry.

g. The domestic industry's selling price has been very high during the POI and also the injury period.

h. Level of average inventory with domestic industry declined in the POI over the previous year which is also a positive parameter.

i. The increase in cost is directly linked to increase in interest. The interest which was INR 10.65 Crores increased to INR 15.15 Crores in the POI.

j. The annual report of Indian Acrylic Ltd. covering the POI suggests that the movement of key raw material prices had created some price pressure on the domestic industry in the first half of the POI, but the same has been mitigated. Any increase in cost due to raw materials cannot be attributed to the imports from Thailand.

k. While the number of employees may have increased, the wages and wages per unit of production has increased. Productivity per day and productivity per employee has declined.

l. Injury parameters have shown overall improvement and very healthy performance.

m. Landed price of imports have increased by 31% in the POI.

H.3. Examination by the Authority

49. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, *"…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…."*. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

50. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as under:

H.3.1. Assessment of Demand and Market Share

51. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers, and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Demand	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Sales of Domestic Industry	MT	68,785	57,143	58,875	61,919
	Index	100	83	86	90
Imports – Thailand	MT	13,670	10,747	8,336	8,797
	Index	100	79	61	64
Import - Other Countries	MT	21,094	20,314	19,908	26,049
	Index	100	96	94	123
Total Demand (excluding captive)	MT	1,03,549	88,205	87,119	96,765
	Index	100	85	84	93
Captive Consumption by DI	MT	***	***	***	***
	Index	100	347	508	704
Total Demand (including captive consumption)	MT	***	***	***	***
	Index	100	90	91	104
Market Share (Including captive)					
Domestic industry (Including captive)	%	67	67	70	68
	Index	100	98	103	97
Subject country	%	13	11	9	8
	Index	100	85	69	62
Other Countries	%	20	22	21	24
	Index	100	110	105	120
Total	%	100	100	100	100

52. The Authority notes that the demand for the product under consideration (excluding captive consumption) came down in 2016-17 and 2017-18 but has increased thereafter in the POI. The market share of the domestic industry has more or less remained stable during the injury period.

53. Market share of the subject country on the other hand has decreased from 13% in the base year to 8% in the POI.

H.3.2. Volume Effect of the dumped imports on the Domestic industry

54. The effects of the volume of dumped imports from the subject country as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Import Volume					
Thailand	MT	13,670	10,747	8,336	8,797
	Index	100	79	61	64
Other countries	MT	21,094	20,314	19,908	26,049
	Index	100	96	94	123
Total Imports	MT	34,763	31,062	28,244	34,846
	Index	100	89	81	100

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Market Share in Imports					
Thailand	%	39	35	30	25
	Index	100	88	75	64
Other countries	%	61	65	70	75
	Index	100	107	115	123
Total Imports	%	100%	100%	100%	100%
Demand	MT	1,03,549	88,205	87,119	96,765
	Index	100	85	84	93
Indian Production	MT	1,01,386	92,279	86,454	96,907
	Index	100	91	85	96
Subject Imports in relation to:					
Demand	%	13	12	10	9
	Index	100	88	67	62
Indian Production	%	13	12	10	9
	Index	100	86	72	67

55. The Authority notes that the volume of dumped imports of the product under consideration from Thailand have decreased in absolute terms as well as in relation to consumption and production in the country, throughout the injury period.

56. Share of imports from the subject country as a whole to the total imports into India has decreased to 25% in the POI from 39% in the base year.

H.3.3. <u>Price Effect of dumped imports and impact on the domestic industry</u>

57. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.

58. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression/depression and price underselling, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed price of imports from subject country.

I. <u>Price Undercutting</u>

59. Price undercutting has been determined by comparing the landed price of imports from the subject country with the net sales realisation of the domestic industry in India.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
	Index	100	97	112	133
Thailand					
Landed Price	Rs/MT	1,29,827	1,16,687	1,38,433	1,71,013
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	0-10	5-15	0-10	0-10

60. It is seen from the above table that the landed price of imports from the subject country are undercutting the domestic selling prices throughout the injury examination period including the POI.

II. Price Suppression / Depression

61. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
	Index	100	93	113	142
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
	Index	100	97	112	133
Landed Price from subject country	Rs/MT	1,29,827	1,16,687	1,38,433	1,71,013
	Index	100	90	107	132

62. The cost of sales has increased by 42% in the POI as compared to base year whereas the applicants have been able to increase the selling price by 33% during the same period. Therefore, imports have caused a suppressing effect on the domestic selling price.

III. Price underselling

63. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from subject country. It is noted that there has been negative price underselling on account of dumped imports as shown in the table below:

Particulars	Unit	Thailand
Non-Injurious Price	USD/MT	***
Landed price of imports in POI	USD/MT	2,414.76
Price Underselling	USD/MT	(***)
Price Underselling	%	(***)
Price Underselling	Range%	(0-10)

H.3.4. Examination of economic parameters relating to the domestic industry

64. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and ability to raise capital investments.

65. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry are analyzed herein below:

I. Capacity, Production Capacity Utilization and Sales

66. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period and notes as follows:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Capacity	MT	1,04,000	1,04,000	1,04,000	1,09,000
	Index	100	100	100	105
Production	MT	1,01,386	92,279	86,454	96,907
	Index	100	91	85	96
Capacity Utilisation	%	97%	89%	83%	89%

	Index	100	91	85	91
Domestic Sales	MT	68,785	57,143	58,875	61,919
	Index	100	83	86	90
Demand	MT	1,03,549	88,205	87,119	96,765
	Index	100	85	84	93

67. It is noted from the above table that:

i. The domestic industry has increased its capacity in the POI.

ii. The production of the domestic industry has declined till 2017-18 but has increased during the POI. Similar trend is noticed in case of capacity utilization also.

iii. The volume of domestic sales decreased in 2016-17 but has increased thereafter in 2017-18 and POI.

II. Market Share of Domestic Industry in Demand

68. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below. It is noted that the market share of the domestic industry (including captive consumption) has more or less remained at the same level throughout the injury period. However market share of domestic industry (excluding captive consumption) has declined by 10% in POI as compared to base year.

Market Share	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Domestic industry (including captive consumption)	%	67	67	70	68
	Index	100	98	103	97
Subject country	%	13	11	9	8
	Index	100	85	69	62
Other Countries	%	20	22	21	24
	Index	100	110	105	120

III. Inventory

69. The Authority further notes that the average inventory level of the domestic industry has shown increasing trend till 2017-18 before dipping in the POI.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Average Inventory	MT	3,725	4,616	5,549	4,072
	Index	100	124	149	109

IV. Profits, Cash Profits and Return on Capital Employed

70. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Cost of Domestic Sales	Rs/MT	***	***	***	***
	Index	100	93	113	142
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
	Index	100	97	112	133
Profit / Loss per unit	Rs/MT	***	***	***	***
	Index	100	123	110	61
Profit / Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Index	100	102	95	55
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
	Index	100	102	95	60
Profit before Interest & Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Index	100	102	96	63
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
	Index	100	101	81	53

71. It is noted from the above table that:

Profit, cash profit, PBIT, return on capital employed have reduced during the POI as compared to previous three years.

V. Employment and Wages

72. It is seen from the table below that the number of employees has witnessed a marginal increase in 2016-17. Salaries and wages paid by the domestic industry have been increasing during the injury period.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Employees	Nos	1,369	1,377	1,377	1,377
	Index	100	101	101	101
Salary and Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Index	100	111	113	119

VI. Growth

73. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below.

Growth	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Production	%	-	-9	-6	12
Domestic Sales	%	-	-17	3	5
Capacity Utilization	%	-	-9	-6	7
Profit/Loss per unit	%	-	23	-10	-45
Return on Capital Employed	%	-	1	-20	-34
Market Share – DI (including captive)	%	-	-	3	-2

74. It can be seen that the production, domestic sales and capacity utilization have had a positive growth in the POI. Parameters such as Profit/Loss per Unit, ROCE and market share have had a negative growth in the POI.

VII. Level of Dumping and Dumping Margin

75. The dumping margin in respect of the subject country is not only more than de-minimis but also significant.

VIII. Factors affecting domestic prices

76. The selling prices of the domestic industry have been affected by dumped imports from the subject country because there is price suppression caused by the dumped imports from subject country.

IX. Ability to raise fresh Investment

77. The Authority notes that the domestic industry is earning healthy profits and healthy return on capital employed, therefore it has the ability to raise fresh investments.

H.3.5. <u>Conclusions on injury:</u>

78. Considering various parameters relating to material injury, the Authority notes that:

a. There has been a decrease in the volume of dumped imports of the subject goods during POI, in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

b. Parameters like production and capacity utilization of the domestic industry have improved during the POI as compared to the previous years.

c. Profitability parameters have decreased during the POI in comparison to previous years.

d. Dumping margin from the subject country is positive and significant.

H.3.6. Causal Link

79. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports.

80. It was examined whether the following other factors listed under the AD Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

I. Volume and price of imports from third country:

81. The Authority notes that the volume of imports of the product under consideration from third countries (EU, Belarus, Ukraine and Peru) in the POI is quite significant. The Authority is conducting a parallel anti-dumping investigation concerning the imports of acrylic fibre from EU, Belarus, Ukraine and Peru.

II. Export Performance:

82. The Authority notes that significant volumes of the product under consideration have been exported by the domestic industry in the injury period. The export sales have reduced during the POI but are still significant.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Domestic Sales Volume	MT	68,785	57,143	58,875	61,919
	Index	100	83	86	90
Exports Sales Volume	MT	31,337	26,683	18,974	24,995
	Index	100	85	61	80

III. Captive Sales

83. The Authority notes that the captive sales of the domestic industry have increased exponentially in the injury period. While the volume of domestic sales has decreased in the injury period, the volume of captive sales on the other hand has continuously increased throughout the injury period.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Domestic Sales Volume	MT	68,785	57,143	58,875	61,919
	Index	100	83	86	90
Captive Sales Volume	MT	***	***	***	***
	Index	100	347	508	704

IV. Development of Technology:

84. None of the interested parties have raised any issue with regard to developments in technology as being the cause of injury to the domestic industry.

V. Performance of other products of the company

85. The Authority notes that no submission has been made by any of the interested parties to the effect that the performance of other products being produced and sold by the applicants is a possible cause of injury to the domestic industry.

VI. Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers:

86. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The domestic producers compete with the landed prices of the subject goods. The price of the domestic industry is influenced substantially by the landed prices of subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between foreign and domestic producers have undergone any change.

VII. Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption:

87. The Authority notes the domestic sales of the domestic industry have followed the same pattern as demand. The fall in demand during the relevant years is also a factor which could be seen as responsible for decline in sales of the domestic industry during some years.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Sales of Domestic Industry	MT	68,785	57,143	58,875	61,919
	Index	100	83	86	90
Total Demand (Excluding Captive)	MT	1,03,549	88,205	87,119	96,765
	Index	100	85	84	93

VIII. Productivity of the domestic industry

88. The Authority notes that no submissions have been made by either the domestic industry or any of the interested parties regarding the injury to the domestic industry on account of productivity of the domestic industry.

I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

I.1. Submissions made by the Domestic Industry

89. Submissions made by the domestic industry in this regard are as follows:

a. TAF is the fifth largest manufacturer and the second largest exporter of the PUC in the world.

b. TAF is the sole producer of the PUC in Thailand.

c. The capacity of TAF has remained the same. However, the company has set up one more line to enhance its capacities of Acrylic Fibre.

d. Sales of TAF have declined in all the markets. Exports to India have declined by 27%, exports to third country have declined by 8% and domestic sales have declined by 2%.

e. Inventories of TAF have declined despite decline in sales. This clearly means that TAF has undertaken production cuts.

f. Demand of the product in Thailand has declined. This clearly shows that surplus capacities with TAF have increased.

g. The cost of sales for TAF increased by 37%, but the domestic selling price increased only by 22% and export price to India increased by only 14%. This shows that:

   i. TAF was not able to increase prices in proportion to the increase in cost;

   ii. Increase in domestic price was more than the increase in export price to India;

   iii. The dumping margin has increased in the current period as compared to the preceding period;

   iv. TAF fixes its prices based on market movements rather than costs.

h. The questionnaire response affirms the same position. It states that no price list is maintained by the company since the prices are determined by the prevailing market conditions.

i. The dumping from subject country has continued despite the imposed duty.

j. The imports are undercutting the prices of the domestic industry by 5%.

k. The foreign producer is faced with significant surplus production capacities far beyond the domestic demand.

l. Considering the exports and production, the foreign producer is highly export oriented. 85% of its sales are export sales.

m. The level of capacity utilization of the foreign producer is low.

n. If the duty ceases to exist, the profit of the domestic industry will decline from INR ***/MT to a loss of INR ***/MT, ROI will decline by ***%, and cash profits will reduce by a large amount.

o. The dumping and injury margin in the current POI is positive and significant.

p. Exporters from the subject country are not only dumping in India, but also in other country.

q. The price attractiveness of the Indian market must also be taken into account.

r. Export price to other country is lower than the export price to India.

s. The domestic industry has also provided the Post-POI data which clearly shows an increase in the subject imports.

I.2. Submissions made by other interested parties

90. The information on likelihood of dumping and injury provided in the petition is grossly insufficient and unreliable.

a. Rule 23 clearly states that the likelihood of dumping and injury should exist simultaneously. It is also very clear that the onus to demonstrate the consequences of such likelihood is on the domestic industry. The likelihood cannot be based on presumptions and conjectures.

b. The trend of price and volume of import from Thailand rules out any likelihood of dumping and injury. The import data shows a decline in imports from Thailand with an increase in price. The imports were 13670 MT in 2015-16 and declined to 8797 MT in the POI. This is a decline of 35%. The import prices have risen by 31% from 2015-16 in the POI as well.

c. Decline in imports shows the availability of better market elsewhere for the Thai producers.

d. 97-99% of the exports to third country were at a price significantly higher than the export price to India. About 80-85% of such exports were at a price higher by about 7-15%.

e. There are no cogent reasons for the company to divert any such volumes to India based on the expiry of the duties. The prices available in the other markets are more attractive even after the expiry of such duties.

f. TAF has been operating at very high capacity utilization levels in the entire injury period. This has been the case since the past 10 years.

g. The fact that the imports declined over the years but increased its prices is evidence of there being no unutilized or excess capacity.

h. The inventory level of PUC has reduced during the injury period. There is no significant inventory available with the company.

i. Absence of continued injury through the injury period and POI is also a crucial parameter which rules out any dumping and injury on account of expiry of present duties.

j. All the volume parameters of injury show a healthy condition, and the profitability of the domestic industry is very high.

k. ROCE must have clocked a level of 40-50% in the POI, and that in itself shows no injury.

l. It is the reasonable estimate of the exporter that the NSR of the domestic industry is higher than the NIP.

m. Exports are at a declining trajectory with an increasing price.

n. A comparison of cost and export price is not a parameter which must be examined for the purposes of determining likelihood.

o. If the landed price with the anti-dumping duty did not cause injury to the domestic industry, the landed price without the anti-dumping duty will also not cause injury to the domestic industry.

p. Capacity utilisation also depends on the product mix in a given period and lower capacity utilisation for a given period cannot be construed as factor indicating capability of dumping.

I.3. Examination by the Authority

91. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from Thailand. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires an examination of whether the duty imposed is serving the intended purpose.

92. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which may be taken into consideration viz.:

a) A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

d) Inventories of the article being investigated.

93. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows:

IX. Continued Imports of appreciable quantum in presence of Anti-Dumping Duty

94. The import details in the subject investigation are as follows:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post-POI (A)
Imports from Thailand	MT	13,670	10,747	8,336	8,797	15,502
	Index	100	79	61	64	113

95. The Authority notes that the volume of dumped imports of the product under consideration have decreased in absolute terms throughout the injury period and the POI. However, these imports have increased in the Post-POI.

I. Price Suppression/Undercutting

96. The Authority notes that the landed price of imports from the subject country is undercutting the domestic selling prices throughout the injury examination period including the POI.

97. The imports have caused a suppressing effect on the domestic selling price. There is likelihood of continuation of this trend.

II. Excess Inventories

98. The Authority notes that there are no excess inventories with the exporting Producer which can be exported to India. However, Authority notes that there is also a significant reduction in the production in the POI as compared to base year.

III. Freely disposable Capacities with the foreign producers

99. The Authority notes that the capacity utilization of the foreign producer from Thailand (TAF) who has participated in the investigation has declined by 14% (from 108% in 2015-16 to 94% in the POI) and hence there are unutilized capacities with the foreign producer.

IV. Level of current and past dumping margin

100. The level of dumping margin in the original, mid-term and sunset reviews as well as present investigation is significant. Given the level of price undercutting the volume of dumped imports is likely to increase further in the event of revocation of duty.

V. Post-POI Analysis

101. The Authority has also conducted a Post-POI analysis for the purposes of determining likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. The following is noted with regard to the same:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-2018	POI	Post-POI (A)
Import Volume-Thailand	MT	13,670	10,747	8,336	8,797	15,502
	Index	100	79	61	64	113
Demand	MT	103,549	88,205	87,119	96,765	113,022
	Index	100	85	84	93	109
Domestic Sales	MT	68,785	57,143	58,875	61,919	54,017
	Index	100	83	86	90	79
Indian Production	MT	101,636	92,279	86,454	96,907	105,860
	Index	100	91	85	95	104
Capacity	MT	104,000	104,000	104,000	109,000	109,000

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-2018	POI	Post-POI (A)
	Index	100	100	100	105	105
Capacity Utilization	%	97	89	83	89	97
	Index	100	91	85	91	100
Export Sales	MT	31,337	26,683	18,974	24,995	27,890
	Index	100	85	61	80	89
Captive Sales	MT	***	***	***	***	-
	Index	100	347	508	704	-
Average Inventory	MT	3,725	4616	5549	4072	5260
	Index	100	124	149	109	141
Cost of Sales	INR/MT	***	***	***	***	***
	Index	100	93	113	142	133
Selling Price	INR/MT	***	***	***	***	***
	Index	100	97	112	133	129

102. In this regard, the Authority notes the following:

a. The import volume from Thailand has increased in the Post-POI Period. There has been an increase of 13 indexed points in the Post-POI (A) as compared to the base year and an increase of 49 indexed points in the Post-POI (A) as compared to the POI.

b. The total demand has increased in the Post-POI (A), but the domestic sales have reduced.

c. In the Post-POI (A), the production and capacity utilization have increased, but the domestic sales have reduced. The inventories have increased and the export sales have also increased.

d. The selling price of the domestic industry is above the cost of sales in the Post-POI (A).

VI. Magnitude of Injury and Injury Margin

103. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry when compared with the landed value of the exports from the subject country shows positive injury margin during POI.

Subject Country	Producer	Exporter	NIP	Landed Value	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin %
			US$/MT	US$/MT	US$/MT	%	Range
Thailand	TAF	TAF	***	***	***	***	0-10
Thailand	All Others	All Others	***	2,292.45	***	***	0-10

I.4. Conclusion on Likelihood of Dumping and Injury

104. The evidences on record show that imports from the subject country increased during POI and have further increased significantly during post POI period. The information on record also shows that the imports from the subject country are undercutting and supressing the prices of the domestic industry. Thus, these parameters indicate that in the event of cessation of anti-dumping duty, the exporters in the subject country are likely to continue export of PUC to India at dumped prices, leading to recurrence of injury to the Domestic Industry.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

105. Post- disclosure submissions have been received from the interested parties. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

J.1. Submissions made by the domestic industry

106. The submissions made by the domestic industry are as follows:

a. In a sunset review investigation, the Authority is required to consider the extent to which the existing anti-dumping duty in force is protecting the domestic industry from subject imports. A sunset review investigation does not require a strict application of Rule 11 and Annexure II since (i) Section 9A(5) does not require establishment of injury for SSR; and (ii) Rule 23(3) only requires the Authority to determine likelihood of recurrence of dumping and injury after mutatis mutandis application of Rule 11.

b. The potential increase/decrease in imports, production, sales, and market share may also be analyzed.

c. Despite the imposition of anti-dumping duty, the subject imports have remained significant. Imports from other dumping countries increased significantly in the injury period. This shows the vulnerable position of the domestic industry. It was the anti-dumping duty in force which ensured that the dumped imports did not increase in volumes. If the anti-dumping duty is allowed to expire, the dumped imports would increase.

d. Though sales by domestic industry increased in the POI by 5% as compared to preceding year, the same declined by 10% as compared to base year. Further, even compared to preceding year, whereas demand increased by 11%, domestic industry sales increased by 5% only and capacity utilization was still 9% lower than the levels achieved in the past. The domestic industry was unable to proportionately increase sales due to the dumped imports and resultantly suffered low capacity utilization.

e. The market share of domestic industry and subject imports have declined while market share of dumped imports from other dumping countries under investigation has increased.

f. Volume of subject imports increased in post-POI and would further increase if the anti-dumping duty were to expire.

g. The price undercutting and underselling is likely to continue in the current trend if the anti-dumping duty is removed.

h. The fact that TAF's inventories declined despite a decline in sales shows that TAF has taken a production cut. This shows that TAF can increase production on cessation of the anti-dumping duty. The Domestic Industry never argued that TAF has excess capacities. The argument was that TAF can divert production to India on cessation of anti-dumping duty.

i. TAF has lost significant production over the current injury period. Such being the case, it is factually incorrect that TAF does not have unutilized capacities.

j. From the calculation based on capacity utilization and its trend as disclosed by TAF, in the event of cessation of the anti-dumping duty, TAF would be able to increase imports to India by 15,400 MT which is higher than the current level of imports from Thailand. This is equivalent to 16% of Indian demand. Even if third countries exports are not diverted, the potential increase in imports is equivalent to 16% of the demand in India and therefore cannot be considered insignificant.

k. The freely disposable capacity is required to be seen in the context of highest achieved capacity utilization of the producer and capacities which have been committed by the producer in various other countries. In case of cessation of anti-dumping duty, Thailand will divert third countries exports to India. As per domestic industry's estimates, TAF has the potential to divert significant third countries exports to India, in addition to 15,400 MT of unutilized capacities.

l. The domestic industry agrees with the Authority's finding on significant dumping margin and how price undercutting can attract increased volume of imports in all previous investigations.

m. In the Post-POI period, TAF has increased exports to India despite high capacity utilization. With increase in demand, domestic industry was unable to proportionately increase domestic sales. Import prices continue to suppress domestic prices even in the Post-POI.

n. Positive and significant injury margin shows likelihood of injury in the event of cessation of anti-dumping duty.

o. With the current price undercutting, if the anti-dumping duty is allowed to expire, the domestic industry will suffer financial losses and negative ROCE.

p. As per general practice, if imports from subject country do not cause material injury to the domestic industry in the POI, the Authority is not required to quantify Injury Margin or to re-fix duties. In such cases only likelihood of recurrence of injury and dumping is analyzed and the same anti-dumping duty is extended.

q. Authority is requested to continue anti-dumping duty in the same form and in terms of USD since depreciation of INR has impacted costs for the domestic industry.

J.2. Submissions made by other interested parties

a. A related party of Vardhman Acrylics Ltd. has imported substantial volume of the subject goods from EU during the POI at a price much lower than landed price from Thailand. The impact of such imports have not been examined in the present case.

b. The anti-dumping duty on Thailand has been in force over 23 years. The domestic industry directly or through their related parties have been importing the subject goods themselves either under Advance License on payment of duty. The users also have been compelled to import due to demand supply gap in India. Any further duty on the subject goods will impact large number of users especially in the MSME leading to high level of job losses and irreparable injury. Such concerns of the users are not fairly addressed in the Disclosure Statement issued by the Authority.

c. The facts of the present case shows that significant imports of the subject goods have been taking place from EU, Belarus, Peru and Ukraine against which an Anti-dumping investigation is under-way and it is apparent that the landed price from such sources have been lower than landed price of imports from Thailand. In that case any price undercutting, price suppression and price underselling during the POI cannot be attributed to imports from Thailand. In fact, the price of TAF is very high in India. The Authority may reconsider its view that there is likelihood of price undercutting, price suppression and price underselling from Thailand.

d. The domestic industry was earning healthy profits and healthy return on capital employed during the POI which rules out the possibility of any injury being suffered by them. Any injury on account of other low-priced imports should not be made a ground to continue anti-dumping duties on Thailand.

e. It is evident that the overall performance of the domestic industry was affected due to a fall in demand and decline in sales and market share is directly linked to exponential increase in captive use of the product. This shows absence of causal link.

f. There is no excess capacity, under-utilization of capacities or any increase in inventories in Thailand. Since it is demonstrated that the price undercutting, suppression and underselling during the POI were not driven by landed value of imports from Thailand, the Authority may reverse its observation that these parameters during POI suggest likelihood.

g. The increase in imports during Post-POI is apparently due to the failure of the domestic industry to cater to some sudden increase in demand and also increase in captive consumption.

h. The Disclosure statement shows that none of the indicative parameters as listed in Clause (vii) of Annexure II of the Rules are met in the present investigation. This shows that expiry of the existing anti-dumping duty on imports from Thailand is not likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry as envisaged in Rule 23 (1B) of the Anti-dumping Rules.

i. The Rules makes it clear that the Authority can revise the quantum of duty in a SSR anti-dumping investigation and the present case warrants such re-determination considering the fact that dumping margin and injury margin have reduced significantly and domestic industry was not suffering any injury.

J.3. Examination by the Authority

107. With regard to the issues raised by parties relating to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority has duly examined the relevant parameters and has recorded its findings in the relevant paragraphs of the present final findings.

108. With regard to the subject goods being imported by Vardhman Acrylics Limited and/or its related party from EU, the Authority notes that this issue has no direct bearing on the subject investigation.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

109. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

110. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

L. CONCLUSION

111. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

a. The imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty.

b. The domestic industry's performance remains vulnerable due dumping of the subject goods from the subject country.

c. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and likelihood of continuation/recurrence of injury to the domestic industry in case the Anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.

M. RECOMMENDATIONS

112. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.

113. Having concluded that there is likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the imports of PUC from the subject country.

114. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(i) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of goods described at column 3 of the duty table below, originating in or exported from subject country.

DUTY TABLE

S. No	Heading/Sub Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5501.3000, 5503.3000, 5506.3000*	Acrylic Fibre**	Thailand	Any country including Thailand	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd	15.87	US$	MT
2	-do-	Acrylic Fibre**	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than S.No. 1 above	110.13	US$	MT
3	-do-	Acrylic Fibre**	Any country other than Thailand	Thailand	Any	110.13	US$	MT

Note - Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC. The PUC mentioned above should be subject to anti-dumping duty even when it is imported under any other HS code.

** Note- Acrylic Fibre, excluding Homopolymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile

N. FURTHER PROCEDURE

115. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

B.B.SWAIN, Special Secy. and Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM